श्री महामाया बाला सुन्दरी जी मन्दिर न्यास त्रिलोकपुर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेष के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01–04–2016 से 31–03–2019

भाग–1

1. **(क)प्रारम्भिकः–**

हिमाचल प्रदेश हिन्दु सार्वजनिक धार्मिक संस्था एवं पूर्व विन्यास अधिनियम 1984 की धारा 23(2)(सी)(ii) के अन्तर्गत वित्तायुक्त एवं सचिव (एल0ए0सी0) हिमाचल प्रदेश सरकार की विज्ञप्ति संख्याः भाषा(ए)(3)/85–पार्ट– 11, दिनांक 17.1.89 के अनुसार हिन्दु सार्वजनिक धार्मिक संस्था एवं पूर्व विनियासों के अंकेक्षण का दायित्व हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सोंपे जाने के दृष्टिगत श्री महामाया बाला सुन्दरी जी मन्दिर न्यास त्रिलोकपुर जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश के अवधि 01–04–2016 से 31–03–2019 तक के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य निष्पादित किया गया ।

(ख) अंकेक्षण अवधि में निम्न विवरणानुसार मन्दिर आयुक्त एवं सहायक आयुक्त मन्दिर न्यास में कार्यरत रहेः–

कमांक	नाम	पदनाम	कार्यकाल
1	श्री बी.सी.बडालिया भा0प्र0से0	उपायुक्त एवं मन्दिर आयुक्त	1.4.16 से 6.1.18
2	श्री ललित जैन भा0प्र0से0	उपायुक्त एवं मन्दिर आयुक्त	6.1.18 से 31.3.19
3	डा0 ऋचा वर्मा	एस0डी0एम0 नाहन एवं मन्दिर सहायक आयुक्त	2.3.16 से 2.11.16
4	श्रीमती कृतिका कुलहरी	एस0डी0एम0 नाहन एवं मन्दिर सहायक आयुक्त	3.11.16 से 19.1.18
5	श्री विवेक शर्मा	एस0डी0एम0 नाहन एवं मन्दिर सहायक आयुक्त	20.1.18 से 31.3.19

(ग) श्री महामाया बाला सुन्दरी जी मन्दिर न्यास त्रिलोकपुर, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश के अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 01–04–2016 से 31–03–2019 में समाविष्ट मुख्य पैरों का सारः–

कमांक	विवरण	पैरा संख्या	राशि (लाखों में)
1	बैंक में कम जमा के रूप में पाई गई राशि	4.4(घ)	1.87
2	मूल्यवान वस्तुओं के भण्डार रजिस्टर में विभिन्न	8(ड.)	0.64

	धातुओं के प्राचीन सिक्कों की गणना न करना		
3	मन्दिर में उपयोग के उपरान्त 5721 ग्राम चांदी को वापस स्ट्राँग रूम में जमा न करना	8(च)	विवरणानुसार
4	विविध अग्रिमों के रूप में वसूली हेतु शेष राशि	9	351.31
5	प्राप्त आय दैनिक रोकड रजिस्टर/बैंक में कम जमा	12	0.06
6	न्यास द्वारा नियमित कर्मचारियों को मेलों के दौरान ओवरटाईम के रूप में अनियमित भुगतान	14	40.17
7	विदेशी मुद्रा अभिलेख में दर्ज न करना	15(क)	0.22
8	बैंक से विदेशी मुद्रा वापस प्राप्त होने पर स्ट्राँग रूम में जमा न करके पाई गई अनियमितता	15(ख)	2.75
9	बिल वाउचर अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	16	206.43
10	बिना पारित आदेश के भुगतान	17	3.64
11	अग्रिम हेतु उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करने के सम्बन्ध में	18	2.57
12	सहायक प्रबन्धक लेखा को अनुचित भुगतान	20	0.01
13	सहायक प्रबन्धक मन्दिर को अधिक भुगतान	21	0.02
14	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना अनुचित भुगतान	22	5.42
15	हिमाचल प्रदेश हिन्दु सार्वजनिक धार्मिक संस्था एवं पूर्व विन्यास अधिनियम 1984 में प्रावधान के बिना की गई चैरिटी	23	98.07
16	दो सुरक्षा कर्मियों को दो वर्ष उपरान्त अनियमित लाभ देकर किया गया अधिक वेतन भुगतान	29	6.30
17	दो पुजारियों को वेतन संशोधन का अनियमित लाभ देकर किया गया अधिक वेतन भुगतान	30	1.45
18	श्री सुरेश कुमार, वरिष्ठ पुजारी को अधिक वेतन का भुगतान करके दिया गया अनुचित लाभ	32	0.36
19	दो सेवादारों को अधिक वेतन का भुगतान करके दिया गया अनुचित लाभ	33	0.12

20	श्री चमन लाल मिस्त्री को किया गया अनुचित भुगतान	35	0.23
21	सहायक प्रबन्धक (मन्दिर) को वेतन संशोधन का अनियमित लाभ देकर किया गया अधिक वेतन भुगतान	36	2.78
22	दो सफाई कर्मचारियों को ACPs के गलत लाभ देकर तथा बकाया राशि की गलत गणना करके दिया गया अनुचित लाभ	37	0.79
23	ACPs के लाभ प्रदान किए जाने उपरान्त भुगतान की गई बकाया राशि की गलत गणना करके विभिन्न कर्मचारियों को दिया गया अनुचित लाभ	38	3.51

(घ) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति का विवरण **परिषिष्ट "क"** पर दिया गया है ।

भाग– दो

2. वर्तमान अंकेक्षणः–

श्री महामाया बाला सुन्दरी जी मन्दिर न्यास त्रिलोकपुर जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश के लेखाओं अवधि 1.4.16 से 31.3.19 तक का वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण श्रीमती ममता रावल अनुभाग अधिकारी (ले0प0) द्वारा दिनांक 21.10.19 से 7.12.19, 13.1.2020 से 6.2.2020, 13.2.2020 से 15.2.2020 तथा 6.5.2020 से 21.8.2020, व 15.9.2020 से 17.9.2020 तक के दौरान मन्दिर न्यास त्रिलोकपुर स्थित कार्यालय में किया गया । आय की विस्तृत जांच हेतु माह 04/2016, 03/2018 तथा 10/2018 तथा व्यय की विस्तृत जांच हेतु 10/2016, 07/2017 एवं 10/2018 के लेखाओं का चयन किया गया । जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है ।

यह अंकेक्षण प्रतिवेदन संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग उक्त संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई किसी गलत सूचना अथवा सूचना उपलब्ध न करवाने पर पाई गई अनियमितताओं एवं त्रुटियों के लिए उत्तरदायी नही होगा ।

3. अंकेक्षण षुल्कः—

मन्दिर न्यास के लेखाओं अवधि 04/2016 से 03/2019 तक का अंकेक्षण शुल्क ₹1,23,000/— आंका गया है । अनुभाग अधिकारी (ले0प0) की अधियाचना संख्या 140 दिनांक 11.8.2020 द्वारा उक्त राशि को निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला—09 को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भेजने हेतु मन्दिर न्यास से अनुरोध किया गया जो कि संस्था द्वारा ड्राफ्ट संख्या 421352 दिनांक 30.9.2020 के माध्यम से प्रषित कर दी थी ।

4. वित्तीय स्थितिः—

4.1 **(क)** मन्दिर न्यास द्वारा अवधि 04/2016 से 03/2019 तक के प्रस्तुत लेखाओं पर आधारित न्यास की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार थी जिसका विस्तृत विवरण **परिषिष्ट "ख"** पर भी दिया गया है :—

वित्तीय वर्ष	आरम्भिक षेष	आय/ प्राप्तियां	कुल योग	व्यय/ भुगतान	अन्तिम षेष
2016—17	68441608.89	102651948.94	171093557.83	94888788.58	76204769.25
2017—18	76204769.25	226744079.95	302948849.20	233594781.02	69354068.18
2018—19	69354068.18	98645921.08	167999989.26	98231380.28	69768608.98
दिनांक 31.3.19 को वित्तीय स्थिति/बही खातों के अनुसार अन्तिम शेष					69768608.98
दिनांक 31.3.19 को विभिन्न बैंकों/सावधि जमा/हस्तगत राशि के अन्तिम शेष					7,13,06,226.28

दिनांक 31.3.19 को विभिन्न बैंकों/सावधि जमा/हस्तगत राशि के अन्तिम शेष का संक्षिप्त विवरणः—

क्रमांक	जमा राशि का विवरण	अन्तिम शेष	अभियुक्ति
1	बैंक बचत खाता Sweep FD Account/Graduty invest	22128515.28	विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "ख"** में दिया गया है।
2	सावधिक जमा	49177711.00	
3	हस्तगत राशि	0.00	
	कुल योग	**₹71306226.28**	
दिनांक 31.3.19 को बही खातों व विभिन्न बैंकों/सावधि जमा/हस्तगत राशि के शेष में अन्तर			1537617.30

(बैंक समाधान विवरणी **परिशिष्ट "ख"** पर दिया गया है)

(ख) बैंक समाधान विवरणी

न्यास द्वारा अंकेक्षण अवधि 4/16 से 3/19 तक के दौरान विभिन्न बैंकों में 10 बचत/चालू खातों का परिचालन किया गया था। दिनांक 31.3.19 को बही खातों व बैंक शेष में कुल ₹153759 का अन्तर था जिसके सम्बन्ध में अंकेक्षण को प्रस्तुत बैंक समाधान विवरणियां **परिशिष्ट "ख"** पर संलग्न है। बैंक समाधान विवरणियों के अंकेक्षण पर निम्नलिखित अनियमितताऐं पाई गई जिनका यथोचित समाधान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.2 हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक त्रिलोकपुर खाता संख्या 56910100001 दिनांक 31.3.19 को खाता बही अनुसार शेष व बैंक अनुसार शेष निम्न थाः—

खाता बही अनुसार शेष (₹)	बैंक अनुसार शेष (₹)	अन्तर (₹)
(—)3833733.90	5082.10	3828651.00

इस अन्तर के सम्बन्ध में प्रस्तुत बैंक समाधान विवरणी के अंकेक्षण पर निम्न अनियमितताऐं पाई गईः—

(क) ₹0.17 लाख के जारी चैकों का बैंक द्वारा भुगतान न करना

न्यास द्वारा निम्न विवरणानुसार विभिन्न चैक भुगतान हेतु जारी किए गए थे परन्तु दिनांक 31.3.19 तक बैंक से इन चैकों का भुगतान नहीं हुआ था तथा वैसे भी वर्णित चैक अब कालातीत हो चुके हैं। इस सम्बन्ध में पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2010 से 3/2013 तक के पैरा संख्या 4 (ख) (i) (iii) तथा 4/2013 से 3/2016 तक के पैरा संख्या 4.2 (क) द्वारा भी आपत्ति उठाई गई थी किन्तु इसके बावजूद भी कोई कार्यवाही अमल में न लाना एक गम्भीर चिन्ता का विषय है। अतः पुनः परामर्श दिया जाता है कि इन कालातीत चैकों को प्राप्ति पक्ष में प्रविष्टि कर समाधान सुनिश्चित किया जाए।

क्रमांक	चैक सं0	दिनांक	राशि
1	कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया	1.4.13 से पूर्व	1914
2	—यथोपरि—	—यथोपरि—	6440
3	—यथोपरि—	—यथोपरि—	3562
4	—यथोपरि—	—यथोपरि—	4702
			₹16618

(ख) बैंक द्वारा बचत खाते से Flexi सावधिक जमा खाते में हस्तांतरित ₹12.52 लाख की गणना न करनाः'–

न्यास द्वारा चुने गए विकलपानुसार बैंक द्वारा निम्नलिखित राशियां स्वतः ही बचत खाते से Flexi सावधिक जमा खाते में हस्तांतरित दर्शाई गई थी जबकि Flexi सावधिक जमा खाता संख्या 803 में इस प्रकार की कोई भी राशि जमा नहीं पाई गई तथा न ही इन राशियों का कोई समाधान किया गया था। जोकि गम्भीर अनियमितता है। इस सम्बन्ध में पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2010 से 3/2013 तक के पैरा संख्या 4 (ख) (i) (i) तथा 4/2013 से 3/2016 तक के पैरा संख्या 4.2 (ख) द्वारा भी आपत्ति उठाई गई थी किन्तु इसके बावजूद भी कोई कार्यवाही अमल में न लाना अनियमितता है। अतः पुनः परामर्श दिया जाता है कि वर्णित राशियों के समाधान हेतु मामला बैंक से उठाया जाए व आवश्यक समाधान लेखों में किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्रमांक	**दिनांक**	**बैंक द्वारा बचत खाते से Flexi सावधिक जमा खाते में हस्तांतरित राशि (₹)**
1	30.6.12	44000
2	9.8.12	2000
3	16.5.12	1000
4	21.8.12	9000
5	22.8.12	1000
6	24.8.12	7000
7	25.8.12	2000
8	4.9.12	7000
9	5.9.12	1000
10	11.9.12	1000
11	12.9.12	2000
12	10.11.12	268000
13	17.11.12	9000
14	22.11.12	18000
15	6.12.12	8000
16	2.1.13	1000
17	15.1.13	3000

18	19.1.13	18000
19	31.1.13	795000
20	2.2.13	25000
21	4.2.13	4000
22	8.2.13	9000
23	28.2.13	16000
24	1.3.13	1000
	योग	**₹1252000**

4.3 HDFC बैंक काला आम्ब खाता संख्या 50100120632480

दिनांक 31.3.19 को खाता बही अनुसार शेष व बैंक अनुसार शेष निम्न थाः—

खाता बही अनुसार शेष (₹)	**बैंक अनुसार शेष (₹)**	**अन्तर (₹)**
22968	22988	20

इस अन्तर के सम्बन्ध में प्रस्तुत बैंक समाधान विवरणी के अंकेक्षण पर निम्न अनियमितताएं पाई गईः—

(क) बैंक द्वारा ₹0.37 लाख की जमा राशि का जमा क्रेडिट न दिया जाना :—

दिनांक 31.3.16 की बैंक समाधान विवरणी अनुसार ₹36650 की नकद राशि दिनांक 29.1.16 को बैंक में जमा करवाई गई थी परन्तु बैंक द्वारा इस राशि को बचत खाते में जमा क्रेडिट प्रदान नहीं किया गया था जोकि गम्भीर अनियमितता है। इस सम्बन्ध में पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2013 से 3/2016 तक के पैरा संख्या 4.3 (क) द्वारा भी आपत्ति उठाई गई थी किन्तु इसके बावजूद भी कोई कार्यवाही अमल में न लाना अनियमितता है। अतः पुनः परामर्श दिया जाता है कि वर्णित राशि का जमा/क्रेडिट न दिए जाने के सम्बन्ध में मामला बैंक से उठाया जाए व न्यास स्त्तर पर आन्तिरिक जांच की जाए तथा तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.4 HDFC बैंक खाता संख्या 173814500000013

दिनांक 31.3.19 को खाता बही अनुसार शेष व बैंक अनुसार शेष निम्न थाः—

खाता बही अनुसार शेष (₹)	**बैंक अनुसार शेष (₹)**	**अन्तर (₹)**
103208.70	103208.70	00.00

इस अन्तर के सम्बन्ध में प्रस्तुत बैंक समाधान विवरणी के अंकेक्षण पर निम्न अनियमितताऐं पाई गईः–

(क) बैंक व बही खातों के शेष में ₹979.82 के अन्तर का अनियमित समाधान करनाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2010 से 3/2013 तक के पैरा संख्या 4 (ख) (iii) तथा 4/2013 से 3/2016 तक के पैरा संख्या 4.4 (क) के अनुसार बैंक समाधान विवरणी में दर्शाए गए ₹979.82 के अन्तर का समाधान बैंक द्वारा दिनांक 2.4.13 व 5.4.13 को बचत खाते में प्रदत्त ब्याज जमा राशि ₹1.00 व ₹1545.73 कुल ₹1546.73 को मन्दिर न्यास के लेखों में केवल ₹566.91 अर्थात ₹979.82 की कम गणना करके किया गया था जोकि अनियमित है। अतः वर्णित अनियमितता का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा गत बैंक समाधान विवरणी में दर्शाए गए ₹979.82 के अन्तर के कारणों की पूर्ण छानबीन उपरान्त लेखों में आवश्यक सुधार करते हुए उक्त अनियमितता का समाधान किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) श्री महामाया बालासुन्दरी मन्दिर न्यास त्रिलोकपुर जिला सिरमौर की दिनांक 31.3.19 को विभिन्न बैंकों व खाताबहियों अनुसार अन्तिम शेष का तुलनात्मक विवरणः–

Sr. No.	Name of Bank	A/C No.	Type of account	Closing balance as on 31-3-19		Difference
				As per bank	As per ledger	00.00
1	HPSCB	56930301004	FDR	2,10,01,097.00	2,10,01,097.00	00.00
2	HPSCB	56930300714	FDR	2,81,76,614.00	2,81,76,614.00	00.00
3	HDFC Kalaamb	50100120632480		22988.00	22,968.00	00.20
4	HDFC	173814500000013	Gateway	103208.70	103208.70	00.00
5	HPSCB	56930400993	Flexi	1,20,01,503.00	1,20,01,503.00	00.00
6	PNB	4503000100000018		60,000.00	60,000.00	00.00
	PNB	4503000100000018	Saving	1,03,656.06	1,03,656.06	00.00
8	PNB	0356000101776062		6,74,194.00	6,74,194.00	00.00
9	SBI	11128708610	Saving	31,57,883.42	14,39,368.22	1718515.20
10	HPSCB	56910100001	Saving	5082.10	-38,33,733.90	3838816.00
11	-----	-------	Gratuity Invest	60,00,000.00	60,00,000.00	00.00
			Total	**7,13,06,226.28**	**6,57,48,875.08**	**55,57,351.20**

(ग) बैंक समाधान विवरणीः–

	विवरण	राशि (₹)
	रोकड़ बही/खाताबही के अनुसार विवरण दिनांक 31.3.19 को अन्तःशेष	69768608.98
जमा	भुगतान हेतु जारी किए गए चैक जो 31.3.19 तक बैंक से भुनाए नहीं गए **(परिशिष्ट–ख)**	(+) 3851508.00
		(+) 1812757.00
घटाव	प्राप्त आय के बैंक में जमा चैक जिनका दिनांक 31.3.19 के बाद बैंक द्वारा जमा प्रदान किया गया (**परिशिष्ट –ख** में वर्णित विवरणानुसार)	(–) 11800.00 (–) 94242.00
	कुल राशि	**75326832.00**
	बैंक के अनुसार दिनांक 31.3.19 को शेष जमा राशि	71306206.28
	बही खातों व बैंक में दिनांक 31.3.19 को जमा शेष में पाया गया असमाधान अन्तर	(–) 4020625.72

(घ) रोकड़ बही/बहीं खातों व बैंक खातों में जमा राशि में पाए गए ₹40.20 लाख का समाधान न करना

बैंक समाधान विवरणी की पडताल करने पर पाया गया कि ₹40,20,625.90/– का अन्तर बैंक में कम जमा के रूप में पाया गया है जिस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 137 दिनांक 15.07.2020 जारी करके पूछा गया जिसके जवाब में न्यास द्वारा जो स्थिति स्पष्ट की वह इस प्रकार है–

अन्तर ₹40,20,625.90

ओवर ड्राफ्ट ₹38,33,733.90

शेष अन्तर ₹1,86,892.00

जिसके सम्बन्ध में मन्दिर न्यास स्थिति स्पष्ट नही कर सका । अतः इस राशि बारे स्पष्टीकरण आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

5. रोकड़ बही का रख–रखाव न करना:–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मंदिर प्रबन्धन द्वारा रोकड बही का रख रखाव नहीं किया गया है। मंदिर के लेखों के रख रखाव हेतु कम्पयूटराइज्ड प्रणाली "टेली" का प्रयोग किया जा रहा था। इसके आधार पर प्राप्ति तथा भुगतान खाता (Receipt & Payment Account), डे बुक (Day Book) तथा विभिन्न खाता बहीयों का रख रखाव तो किया जा रहा था जिसमे मंदिर न्यास की प्राप्तियों / भुगतानों के वर्गीकृत खातों तथा समायोजनो की प्रविष्टियों को भी विस्तृत रूप से दर्शाया गया था परन्तु किसी विशेष तिथि को रोकड / बैंक/ सावधि जमा खातों के शेष कहीं भी नहीं दर्शाए गए थे। इसके अतिरिक्त DDO द्वारा प्राप्ति तथा भुगतान खाते (Receipt & Payment Account) तथा विभिन्न खातों (Ledger Account) में नियमित रुप से प्रविष्टियों का सत्यापन भी नहीं किया जा रहा है। उपरोक्त खातों में सलंग्न किये गये पृष्ठों की संख्या भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं की गई थी। अतः उपरोक्त अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा वर्तमान में नियमानुसार रोकड बही का रख रखाव करने के साथ–2 तथा प्राप्ति तथा भुगतान खाता (Receipt & Payment Account) डे बुक (Day Book) तथा विभिन्न खाता बहीयों से सम्बन्धित प्रविष्टियों को भी DDO आहरण एवं वितरण अधिकारी से सत्यापित करवाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

6. चयनित मासों की मासिक आय व्यय विवरणी तथा प्राप्ति व भुगतान लेखों में पाया गया क्रमशः ₹59.88 लाख एवं ₹59.94 लाख के अन्तर के सन्दर्भ में:–

मन्दिर न्यास द्वारा रोकड बही का संधारण न किए जाने के कारण अवधि 4/2016 से 03/2019 तक के, मन्दिर न्यास द्वारा प्रस्तुत मासिक आय व्यय सारणी में दर्शाए आंकडों की सत्यापना अंकेक्षण के दौरान नही की जा सकी । परन्तु फिर भी प्राप्ति एवं भुगतान लेखों के माध्यम से नमूना जांच हेतु चयनित मासों के आंकडों की सत्यापना करने का प्रयास किया गया। जिसमें निम्न विवरणानुसार अन्तर पाया गया । इससे यह प्रतीत होता है कि मन्दिर न्यास द्वारा अंकेक्षण में या तो अधूरे आंकडे प्रस्तुत किए गए या नियमानुसार लेखों का संधारण पारदर्शिता के साथ नही किया गया है। इस गम्भीर अनियमितता के लिए तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट की जानी अपेक्षित है । इस विषय पर स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 139 दिनांक 07.08.2020 जारी करके कारण स्पष्ट करने हेतु निवेदन किया गया परन्तु अंकेक्षण के समाप्ति तक इस बारे कोई सन्तोषजनक उत्तर प्राप्त नही हुआ ।

आय में पाई गई भिन्नता बारे					
मासिक आय व्यय विवरणी अनुसार प्राप्तियां				प्राप्ति भुगतान लेखा अनुसार प्राप्तियां	अन्तर
माह	वास्तविक आय	अन्य	कुल आय		
04/2016	18210710	1687282.20	19897992.20	18230096	1667896.20
03/2018	23529433	4087891.90	27617324.90	41216427	−13599102.10
10/2018	12992603	5362255.90	18354858.90	12411880	5942978.90
				योग	**–₹5988227**

व्यय में पाई गई भिन्नता बारे					
मासिक आय व्यय विवरणी अनुसार भुगतान				प्राप्ति भुगतान लेखों अनुसार भुगतान	अन्तर
माह	वास्तविक व्यय	अन्य	कुल व्यय		
10/2016	11160065.50	4244023.43	15404088.93	12448461.50	2955627.43
07/2017	19984791.24	3161456.20	23146247.44	21881939.24	1264308.20
10/2018	6534619.30	5879070.90	12413690.20	10640066.30	1773623.90
				योग	**₹5993559.53**

7. निवेशः–

(क) श्री महामाया बालासुन्दरी मन्दिर न्यास त्रिलोकपुर द्वारा निम्न राशियां दिनांक 31.3.19 तक सावधि जमा के अन्तर्गत निवेश की गई दर्शाई गई थी ।

1.	FDR Account No. 56930301004(Reserve Fund) HPSCB	2,10,01,097.00
2.	FDR Account No. 56930300714 HPSCB	2,81,76,614.00
	Total	**₹4,91,77,711.00**

न्यास द्वारा उपरोक्त सावधि जमा के सम्बन्ध में कोई अभिलेख/प्रमाण अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किया गया । अतः इस राशि का सत्यापन नही किया जा सका । जो आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

(ख) नियमानुसार सावधि निवेष रजिस्टर तैयार न करनाः–

मन्दिर न्यास द्वारा समय समय पर विभिन्न बैंकों के सावधि जमा खाते में राशियों का निवेश किया जा रहा था परन्तु इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के अभिलेख का अनुरक्षण नही किया गया था जिससे निवेशित राशियों की स्थिति स्पष्ट नही हो पाई । इस प्रकार अभिलेख का अनुरक्षण न करने तथा सावधि जमा खातों पर प्राप्त ब्याज से सम्बन्धित दस्तावेज पडताल हेतु प्रस्तुत न करने के कारण अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नानुसार सावधि अर्जित ब्याज से सम्बन्धित खातों में लेखांकित अर्जित ब्याज के सही होने की पुष्टि नही की जा सकीं।

अवधि	**विभिन्न बैंकों में प्राप्त ब्याज (₹)**	**विवरण**
2016–17	31,37,217.02	परिशिष्ट –ग(1)
2017–18	34,58,107.00	परिशिष्ट –ग(2)
2018–19	36,28,750.00	परिशिष्ट –ग(3)

8. सोना एवं चांदी

(क) श्री महामाया बाला सुन्दरी जी मन्दिर न्यास त्रिलोकपुर जिला सिरमौर के सोना चांदी के भण्डार रजिस्टर के अनुसार अंकेक्षणाधीन अवधि की सोने के स्टाक की वर्षवार स्थिति निम्नानुसार थी जिसका विवरण **परिषिष्ट घ (1)** पर भी दिया गया है :–

वित्तीय वर्ष	**आरम्भिक षेष**			**दान में प्राप्त**			**कुल मात्रा**			**निवेशित/ विनियम**			**अन्तः षेष**		
	kg	gm	mg	kg	gm	mg	kg	gm	mg	kg	gm	mg	kg	gm	mg
2016–17	12	746	015	00	516	600	13	262	615	0	0	0	13	262	615
2017–18	13	262	615	1	111	450	14	374	065	0	0	0	14	374	065
2018–19	14	374	065	0	430	800	14	804	865	0	0	0	14	804	865

दिनांक 31.3.19 को अन्तः षेष का शीर्षानुसार विवरण

कमांक	**विवरण**	**षेष (ग्राम में)**			**स्टाक रजिस्टर पृष्ठ संख्या**
		Kg	gm	mg	
1	जिला कोषागार नाहन में जमा	0	0	0	257 (दिनांक 28.7.18 को 10300.500 ग्राम वापस प्राप्त करके स्ट्रांग रूम में जमा)
2	स्ट्रॉग रूम में जमा	14	184	425	258
3	मन्दिर में स्थिापित/ उपयोग हेतु जारी	0	620	440	293
	कुल	**14**	**804**	**865**	

नोटः— पूर्व अंकेक्षण अवधि 4/02 से 3/10 के पैरा 4(ii) अनुसार 50 ग्राम सोना की मात्रा दिनांक 31.12.12 को स्टॉक शेष में बढाकर राजकीय कोषागार में दर्शाया गया था परन्तु राजकीय कोषागार में इस जमा का कोई प्रमाण अंकेक्षण को नहीं दिखाया गया। अतः परामर्श दिया जाता है कि राजकीय कोषागार नाहन में जमा सोने का सक्षम प्राधिकारी से भौतिक सत्यापन करवाकर राजकीय कोषागार में जमा सोने की मात्रा के वास्तविक शेष बारे वस्तु स्थिति से आगामी अंकेक्षण में अवगत करवाया जाए।

(ख) हि0 प्र0 हिन्दु सार्वजनिक धार्मिक संस्थान एवं विन्यास अधिनियम 1984 की धारा 12—ए(2)के प्रावधानों को लागू न करनाः—

हि0 प्र0 हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थान एंव विन्यास अधिनियम 1984 की धारा 12—ए (2) (A)(II) के प्रावधानानुसार 20 प्रतिशत सोना भारतीय स्टेट बैंक की गोल्ड बांड स्कीम में निवेश करना अपेक्षित था परन्तु अंकेक्षण को प्रस्तुत अभिलेख व सूचना के अवलोकन से विदित हुआ कि इन प्रावधानों को अमल मे नही लाया गया था जिसके कारण जहां न्यास एक्ट के प्रावधानों को लागू करने मे विफल रहा है वहीं इन प्रावधानों को लागू करने से होने वाली आय से भी वंचित होना पड़ रहा है जो कि एक गंभीर अनियमितता है। पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2010 से 3/2013 तक के पैरा संख्या 4 (ख) तथा 04/2013 से 03/2016 के पैरा संख्या 6 (ख) द्वारा भी यह अनियमितता मंदिर न्यास के घ्यानार्थ लाई गई थी किन्तु उसके बावजूद भी कोई भी कार्यवाही न करना अनुचित ही नहीं आपत्तिजनक भी है। अतः पुनः परामर्श दिया जाता है कि वर्णित अनियमितता का औचित्य स्पष्ट करते हुए उक्त प्रावधानों को अविलंब लागू किया जाना सुनिश्चित किया जाए और अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ग) श्री महामाया बाला सुन्दरी जी मन्दिर न्यास त्रिलोकपुर जिला सिरमौर के सोना चांदी के भण्डार रजिस्टर के अनुसार अंकेक्षणाधीन अवधि की च्रादी के स्टाक की वर्षवार स्थिति निम्नानुसार थी जिसका विवरण **परिषिष्ट "घ" (2)** पर भी दिया गया है :—

वित्तीय वर्ष	आरम्भिक शेष				दान में प्राप्त				कुल मात्रा				निवेशित/ विनियम			अन्तः शेष			
	qtl	kg	gm	mg	qtl	kg	gm	mg	Qtl	kg	gm	mg	kg	gm	mg	qtl	kg	gm	mg
2016—17	18	63	528	450	1	19	502	0	19	83	030	450	0	0	0	19	83	030	450
2017—18	19	83	030	450	1	16	293	0	20	99	323	450	0	0	0	20	99	323	450
2018—19	20	99	323	450	1	11	309	0	22	10	632	450	0	0	0	22	10	632	450

दिनांक 31.3.19 को अन्तः षेष का षीर्षानुसार विवरण

कमांक	**विवरण**	**शेष (ग्राम में)**				**स्टाक रजिस्टर पृष्ठ संख्या**
		Qti	kg	gm	mg	
1	जिला कोषागार नाहन में जमा	0	0	0	0	11 (दिनांक 28.7.18 को 662165.280 ग्राम वापस प्राप्त करके स्ट्राँग रूम में जमा)
2	स्ट्राँग रूम में जमा	17	47	961	450	12
3	मन्दिर में स्थापित/ उपयोग हेतु जारी	4	62	671	000	328
	कुल	**22**	**10**	**632**	**450**	

(घ) हि0 प्र0 हिन्दु सार्वजनिक धार्मिक संस्थान एवं विन्यास अधिनियम 1984 की धारा के प्रावधानों को लागू न करनाः—

हि0 प्र0 हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थान एवं विन्यास अधिनियम 1984 की धारा 12—ए (B)(iii) के प्रावधानानुसार 60% चांदी को सिक्के में ढाल कर श्रद्धालुओं को वर्तमान मूल्य पर विक्रय किया जाना अपेक्षित था परन्तु अंकेक्षण को प्रस्तुत अभिलेख व सूचना के अवलोकन से विदित हुआ कि इन प्रावधानों को अमल मे नही लाया गया था जिसके कारण जहां न्यास एक्ट के प्रावधानों को लागू करने मे विफल रहा वहीं इन प्रावधानों को लागू करने से होने वाली आय/लाभों से भी वंचित होना पड़ा जो कि एक गम्भीर अनियमितता है। पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2010 से 3/2013 तक के पैरा संख्या 4 (घ) तथा 04/2013 से 03/2016 के पैरा सख्या 6 (घ) द्वारा भी यह अनियमितता सूचित की गई थी किन्तु उसके बावजूद भी कोई कार्यवाही न करना अनुचित है। अतः पुनः परामर्श दिया जाता है कि वर्णित अनियमितता का औचित्य स्पष्ट करते हुए उक्त प्रावधानों को अविलम्ब लागू किया जाना सुनिश्चित किया जाए और अनुपालना से आगामी अंकेक्षण में अवगत करवाया जाए।

(ड) मूल्यवान वस्तुओं के भण्डार रजिस्टर में ₹0.64 लाख राशि की क्रय की गई विभिन्न धातुओं के प्राचीन सिक्कों की गणना न करनाः—

अंकेक्षण को प्रस्तुत सोना चांदी के भण्डार लेखों का सम्बन्धित अभिलेखों के साथ अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार बिल संख्या 378 दिनांक 13.3.15 को मै0 सोनू ज्वैलर्स नजदीक पावर हाउस नारायणगढ, अम्बाला से विभिन्न धातुओं के प्राचीन दुर्लभ सोना/ चांदी/तांबा के सिक्के क्रय किए गए थे जिसकी गणना मन्दिर न्यास के मुख्य भण्डार

रजिस्टर में नही की गई थी तथा सीधे मन्दिर न्यास के संग्रहालय में स्थापित कर दिया गया था । अतः परामर्श दिया जाता हे कि उक्त सिक्कों को उनके भार /वजन के अनुसार वर्तमान में मन्दिर न्यास के मुख्य भण्डार रजिस्टर में दर्ज करके तत्पश्चात संग्रहालय को जारी किया गया दर्शाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

Sr. No.	**Particulars**	**Rate**	**Amount**
1	Copper coins 3.770 kg	2000	7540.00
2	Silver coins 6 N0.	5000	5000.00
3	Copper coins 7 N0.	1000	1000.00
4	Gold coin 1 N0.	-------	50000.00
		Total	**₹63540.00**

(च) मन्दिर में उपयोग के उपरान्त 5721 ग्राम चांदी को वापस स्ट्राँग रूम में जमा न करनाः—

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न विवरणानुसार 5721 ग्राम चांदी मन्दिर में उपयोग उपरान्त पुरानी होने पर अथवा नई चांदी की वस्तुऐं दान में प्राप्त होने पर स्ट्राँग रूम में वापस की गई दर्शाई गई थी परन्तु लेखा परीक्षा में इन वस्तुओं को स्ट्राँग रूम में जमा करवाने से सम्बन्धित कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया जबकि नई चांदी से इन वस्तुओं के प्रतिस्थापन उपरान्त तुरन्त ही चांदी की इन पुरानी वस्तुओं को मोहर बन्द प्रमाण पत्र सहित स्ट्राँग रूम में जमा किया जाना चाहिए था । अतः ऐसा न करने बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा उक्त 5721 ग्राम चांदी को यथोचित कार्यवाही उपरान्त स्ट्राँग रूम में जमा करवाये जाने से सम्बन्धित प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0 सं0	**रसीद संख्या व दिनांक**	**विवरण**	**मात्रा**	**स्टाक रजिस्टर पृष्ठ संख्या**
1	10606 दिनांक 30.11.19	छत्र चांदी	1480 ग्राम	327
		परात चांदी	1000 ग्राम	
2	10618 दिनांक शून्य	लोटा	300 ग्राम	327
		धूपदानी	200 ग्राम	
		घण्टी	300 ग्राम	
3	8448 दिनांक 7.12.17	मेहराव	2392 ग्राम	328
		कटोरी व छत्र	20 ग्राम	
		त्रिशूल	29 ग्राम	
		कुल	**5721 ग्राम**	

(छ) चांदी रूपया की भण्डार स्थितिः–

श्री महामाया बाला सुन्दरी जी मन्दिर न्यास त्रिलोकपुर जिला सिरमौर के सोना चांदी के भण्डार रजिस्टर के अनुसार अंकेक्षणाधीन अवधि की चाँदी रूपया के स्टाक की वर्षवार स्थिति निम्नानुसार थी जिसका विवरण **परिषिष्ट घ "3"** पर भी दिया गया है :–

दिनांक 1.4.16 को प्रारम्भिक	=₹1,619.25
2016–17 में प्राप्त चांदी सिक्के	=₹38.00
2017–18 में प्राप्त चांदी सिक्के	= 62.25
2018–19 में प्राप्त चांदी सिक्के	= 23.75
दिनांक 31.3.19 को अन्तिम शेष	=1,743.25

9. विविध अग्रिमों के रूप में ₹351.31 लाख का वसूली हेतु षेष पाया जानाः–

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली में दिए गए प्रावधानानुसार एक माह के भीतर अग्रिम राशियों का समायोजन किया जाना वांछित था । परन्तु मन्दिर न्यास द्वारा **परिषिष्ट (ड)** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.2019 को ₹3,51,31,499/– विविध अग्रिमों के रूप में वसूली हेतु शेष थी जिसकी वसूली/ समायोजन हेतु विशेष कदम उठाए जाऐं व की गई कार्रवाई से इस विभाग को अवगत करवाया जाए । उपरोक्त वर्णित परिशिष्ट में ₹17,37,734/–की राशि ऐसी हैं जो कि पिछले कई वर्षों से बतौर स्टाफ अग्रिम के रूप में दी गई थी परन्तु मन्दिर न्यास द्वारा इस सम्बन्ध में कोई भी कार्रवाई नही की गई जो कि एक गम्भीर अनियमितता है । अतः ऐसे समस्त मामलों के सन्दर्भ में वसूली दण्ड ब्याज सहित नियमानुयार सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

10. रेणुका विकास बोर्ड के सामान को बिना किराया वसूल किए स्ट्राँग रूम में रखने बारे :–

सोना चांदी के स्टाक की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि पृष्ठ संख्या 342 पर दर्ज विवरणानुसार दिनांक 28.7.18 से रेणुका विकास बोर्ड के कुल 18 मोहर बन्द पैकेट्स का एक बडा ट्रंक पत्र संख्या एलएफसी(1) 47/17/–130575 दिनांक 28.7.18 द्वारा मन्दिर न्यास त्रिलोकपुर के स्ट्राँग रूम में रखा हुआ है । मन्दिर न्यास कार्यालय द्वारा मौखिक तौर पर अंकेक्षण को सूचित किया गया कि इस सामान को मन्दिर परिसर के स्ट्राँग रूम में रखे जाने की एवज में किसी प्रकार का किराया नही लिया जा रहा था । जबकि एच.पी.टी.आर. 2017 के नियम 71 नोट 2 में दिए प्रावधानुसार स्ट्राँग रूम में रखे सामान के लिए निम्न विवरणानुसार राशि वसूल की जानी अपेक्षित थी :

1 कि0ग्रा0 तक भार के बक्सों के लिए 100/–प्रति क्वाटर

1 से 5 कि0ग्रा0 तक भार के बक्सों के लिए 500/– प्रति क्वाटर

5 कि0ग्रा0 से अधिक भार के बक्सों के लिए 1000/– प्रति क्वाटर

अतः रेणुका विकास बोर्ड से उपरोक्त नियमों के अन्तर्गत राशि न वसूले जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा इन बक्सों के भार के अनुसार दिनांक 28.7.18 से उपरोक्त नियमों के अन्तर्गत राशि वसूल की जानी सुनिश्चित की जाए ।

11. वाउचर नम्बर सही ढंग से न लगाने बारेः–

(क) लेखों की नमूना जांच हेतु चयनित माहों के वाउचर की पडताल करने पर पाया गया कि भुगतान वाउचरों पर कमवार नम्बर नही लगाए जा रहे थे । वाउचर फाईल में जो वाउचर संख्या अंकित की जा रही थी वह Payment Account में दर्ज वाउचर संख्या से मेल नही करती थी। जिसके कारण यह सुनिश्चित करना सम्भव नही था कि आहरण व वितरण अधिकारी द्वारा पारित वाउचर का ही भुगतान Payment Account में किया जा रहा था अथवा नही । अतः इस अनियमितता बारे स्थित स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में प्रक्रिया में सुधार किया जाना सुनिश्चित किया जाए । कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैः–

क्रम संख्या	माह	विवरण	राशि	वाउचर फाईल अनुसार वाउचर संख्या	व्यय लेखा अनुसार वाउचर संख्या
1	10/2016	वेतन व दैनिक भत्ते	1,60,013.00	388	383
2		वेतन व दैनिक भत्ते	93,766.00	389	384
3		मेला अग्रिम	15,000.00	390	385
4		रसोई गैस सिलैण्डर हेतु	69,834.00	392	387
5		राना बिल्डिंग मैटिरियल सप्लायर	37,700.00	395	390
6		कन्या विवाह सहायता	21,000.00	408	411
7		चिकित्सा सहायता राशि	15,000.00	407	410
8		शिशुपाल सफाई ठेका	49,004.00	404	407
9		विद्युत बिल	1,00,938.00	421	422
10		सामान्य मुरम्मत	15,000.00	441	445
11	07/2017	कन्या विवाह सहायता	10,500	213	249

12		वेतन व दैनिक भत्ते	65,830.00	218	254
13		वेतन व दैनिक भत्ते	1,56,007.00	219	255
14		चैत्र नवरात्रि मेला व्यय	5,678.00	237	258
15		डीजल व्यय	21,980	255	269
16		कन्या विवाह सहायता	10,500.00	257	272
17		यासीन इंजीनियरिंग इनडस्ट्रीज	88,558.00	264	279
18		विद्युत बिल	1,19,547.00	267	283
19	10/2018	विज्ञापन व्यय	4,801.00	314	359
20		कन्या विवाह सहायता	21,000.00	322	367
21		कन्या विवाह सहायता	21,000.00	323	368
22		कन्या विवाह सहायता	21,000.00	324	369
23		शिशुपाल सफाई ठेका	1,05,003.54	327	377
24		लेखन सामग्री	1,620.00	329	379
25		लेखन सामग्री	1,580.00	331	382

(ख) व्यय की नमूना जांच के दौरान यह भी पाया गया कि निम्न विवरणानुसार कई भुगतानों पर एक ही वाउचर संख्या अंकित की गई थी । मन्दिर न्यास द्वारा इस प्रकार किया जाना भी सन्देहास्पद था क्योंकि एक ही वाउचर द्वारा एक से ज्यादा भुगतान करना नियमों के विरूद्व होने के साथ साथ गबन की आशंका को भी जन्म देता है जिसके लिए वस्तुस्थिति स्पष्ट की जानी वांछित है ।

क्रम संख्या	**माह**	**विवरण**	**राशि**	**वाउचर फाईल अनुसार वाउचर संख्या**	**व्यय लेखा अनुसार वाउचर संख्या**
1	10/10/2016	हिम फैड लिमिटेड नाहन	500.00	398	...
2	15/10/2016	कन्या विवाह सहायता	37,000.00	398	397
3	17/10/2016	सुरक्षा गार्ड	5,31,600.00	398	399
4	15/10/2016	आश्विन मेला व्यय	46,410.00	399	398
5	17/10/2016	होमगार्ड वेतन	17,30,236.00	399	400
6	17/10/2016	फायर ब्रिगेड स्टाफ का भुगतान	10,880.00	404	405
7	18/10/2016	शिशुपाल सफाई ठेका	49,004.00	404	407

12. विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त आय में से ₹0.05 लाख को दैनिक रोकड रजिस्टर/बैंक में कम जमा करनाः—

चयनित माह की आय का उपलब्ध करवाए गए सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्नलिखित प्रकरणों में विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त आय की राशि में से ₹5710 की राशि दैनिक रोकड संग्रह रजिस्टर में या बैंक खाते में कम जमा की गई थी । अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा कम जमा की गई राशि की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करते हुए न्यास निधि में जमा करवाई जाए तथा कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

कमांक	आय का षीर्ष	चयनित माह	रसीद संख्या	जितनी राषि प्राप्त हुई	जितनी राषि वास्तव में जमा की गई	जितनी राषि कम जमा की गई
1	दैनिक भण्डारा सदस्यता	4/16	50639 से 50679	22400	21400	1000
2	धर्मशाला	4/16	49231	400	200	200
3	धर्मशाला	4/16	49232	400	200	200
4	धर्मशाला	4/16	49289	4880	4820	60
5	धर्मशाला	3/18	56808	210	140	70
6	धर्मशाला	3/18	56861 व 56890	2610	1810	800
7	धर्मशाला	3/18	56862	140	70	70
8	धर्मशाला	3/18	56863	1400	630	770
9	धर्मशाला	3/18	56864	140	70	70
10	धर्मशाला आगन्तुक कमांक संख्या 1566	4/16	जारी नही की	70	......	70
11	धर्मशाला आगन्तुक कमांक संख्या 1499	3/18	जारी नही की	70	......	70
12	धर्मशाला आगन्तुक कमांक संख्या 1647	3/18	जारी नही की	70	......	70

13	धर्मशाला आगन्तुक कमांक संख्या 1674	3/18	जारी नही की	70	......	70
14	धर्मशाला	3/18	56724 से 56733	1060	960	100
15	धर्मशाला	3/18	56743 से 56767	4150	4050	100
16	धर्मशाला	3/18	56913 से 56933	2900	2800	100
17	धर्मशाला	3/18	56956 से 56971	1850	1750	100
18	धर्मशाला	3/18	56988 से 57000	2790	2780	10
19	धर्मशाला	3/18	57501 से 57507	650	620	30
20	धर्मशाला	3/18	57508 से 57530	2420	2350	70
21	यात्री निवास आगन्तुक संख्या 2277	4/16	49045	1260	630	630
22	यात्री निवास	4/16	48871 से 48884	21665	20665	1000
23	दान राशि ₹50/– की रसीद बुक	4/16	133962 से 133992	1550	1500	50
					कुल	**₹5710**

13. रसीद बुकों को संख्या सम्बन्धी प्रमाण पत्र के बिना ही प्रयोग में लानाः–

विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त आय की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि कार्यालय द्वारा रसीद बकों को जारी किए जाने से पूर्व सक्षम अधिकारी द्वारा संख्याओं का प्रमाण पत्र नही दिया जा रहा था । जिस कारण यह सुनिश्चित करना सम्भव नही था कि इन रसीद बुकों में जितनी रसीदों की संख्या छपाई उपरान्त प्राप्त हुई हैं उन्हें सही प्रयोग में लाकर पूरी राशि बैंक में जमा करवाई गई है अथवा नही । उदाहरण के तौर पर रसीद संख्या 60901 से 61000 में पाया गया कि इस रसीद बुक में 100 से स्थान पर 101 (60907 की दो प्रतियों के छपने उपरान्त) रसीदें थी तथा सम्बन्धित प्रमाण पत्र, रसीद बुक जारी करने से पूर्व न देकर, अंकेक्षण के परामर्श पर अब दिया गया था । जो कि लेखों में सुधार करवाए जाने का एक उपाय मात्र

था । यदि इसी प्रकार अन्य रसीद बुकों में भी 100 से अधिक या कम संख्याओं की मात्रा छपी होगी तो किसी प्रकार के दुर्विनियोजन की सम्भावना से इन्कार नही किया जा सकता। अतः परामर्श दिया जाता है कि प्रत्येक रसीद बुक को प्रिन्टिंग प्रैस से प्राप्त होने के तुरन्त बाद उनकी गहनता से जांच करके उन पर संख्याओं का प्रमाण पत्र दिया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि किसी प्रकार के दुर्विनियोजन की सम्भावना से बचा जा सके ।

14. मन्दिर न्यास द्वारा नियमित कर्मचारियों को मेलों के दौरान ओवरटाईम के रूप में ₹40.17 लाख का अनियमित भुगतानः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा 04/2016 से 03/2019 तक नवरात्रि मेलों से सम्बन्धित माह में न्यास के कर्मचारियों को अतिरिक्त वेतन, जिसका विवरण निम्न तालिका तथा **परिषिष्ट (च)** पर दिया गया है। लेखा परीक्षा के पूछे जाने पर सूचित किया गया कि यह अतिरिक्त वेतन मन्दिर न्यास द्वारा वर्ष 2008 में बनाए तथा अपनाए गए श्री महामाया बालासुन्दरी जी मन्दिर न्यास के वित्तीय नियम 2008 के प्रावधान संख्या 13(ई) के अनुसार दिया गया है । उक्त वित्तीय नियमों की जांच करने पर पाया गया कि ये श्री महामाया बालासुन्दरी जी मन्दिर न्यास के वित्तीय नियम 2008 मन्दिर न्यास द्वारा अपने स्तर पर ही बना लिए गए थे । इन नियमों हेतु हि0 प्र0 सरकार/ सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त नही किया गया था । इसके अतिरिक्त उपरोक्त के सन्दर्भ में वर्णित किया जाता है कि मन्दिर न्यास में विभिन्न अधिकारियों/ कर्मचारियों की नियुक्ति मन्दिर कार्यों के संचालन हेतु ही की गई है तथा उनके द्वारा मन्दिर कार्यों के अतिरिक्त कोई विशेष कार्य नही किया जा रहा है व मेलों का कार्य मन्दिर संचालन का ही अभिन्न अंग है । अतः इनकों निम्न विवरणानुसार अतिरिक्त ओवारटाईम के रूप में दिए गए अतिरिक्त वेतन की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए । तथा भविष्य हेतु इस अनियमित व्यवस्था को बन्द किया जाए ।

कम सं0	**नवरात्रि मेला माह**	**वाउचर संख्या व दिनांक**	**राशि (₹ में)**
1	चैत्र व आश्विन मेला 2016	202 दिनांक 1.11.2016	11,14,847.00
2	चैत्र मेला 2017	....	6,32,806.00
3	आश्विन मेला 2017	438 दिनांक 12.10.2017	6,84,589.00
4	चैत्र मेला 2018	805 दिनांक 31.3.18	5,87,245.00
5	चैत्र मेला 2018	2 दिनांक 3.4.2018	1,88,639.00
6	आश्विन मेला 2018	167 दिनांक 31.10.2018	8,08,383.00
		कुल राषि	**₹40,16,509.00**

15. विदेशी मुद्रा के सम्बन्ध में :–

अवधि 4/2016 से 03/2019 तक के अंकेक्षण के दौरान विदेशी मुद्रा से सम्बन्धित स्टाक रजिस्टर व गल्लों से प्राप्त आय का रजिस्टर की जांच के दौरान जो अनियमितताऐं पाई गई वह निम्नलिखित हैं:–

(क) ₹0.22 लाख की विदेशी मुद्रा अभिलेख में दर्ज न करना:–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मन्दिर में स्थापित विभिन्न गल्लों को खोलने के उपरान्त प्राप्त विदेशी मुद्रा की पूर्ण मात्रा स्ट्राँग रूम में जमा नही की जा रही थी । गल्लों से प्राप्त आय सम्बन्धी रजिस्टर की लेखा परीक्षा के दौरान निम्न विवरणानुसार ऐसे प्रकरण भी ध्यान में आए जो उक्त रजिस्टर में तो दर्ज थे परन्तु स्टाक रजिस्टर अनुसार स्ट्राँग रूम में जमा नही दर्शाए गए थे । यह एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है जिस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा इस विदेशी मुद्रा के वर्तमान बाजार मूल्य के बराबर राशि की वसूली सम्बन्धित से करके न्यास के खाते में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाना भी सुनिश्चित किया जाए।

क्रम संख्या	**गल्लों से प्राप्त आय रजिस्टर पृष्ठ संख्या**	**दिनांक**	**जिस देश की मुद्रा है**	**मुद्रा**	**मात्रा**	**भारतीय राशि में वर्तमान मूल्य**	**राशि**
1	2	3	4	5	6	7	6X7
1	160	9.10.16	नही दिया है	रियाल	1	19.93	19.93
2	156	5.10.16	नेपाल	रूपया	100	0.63	63.00
3	168	17.10.16	नेपाल	रूपया	40	0.63	25.20
4	20	11.4.17	नौरबे	पोल्सकी /कोन	80	8.23	658.40
5	76	1.4.18	कनाडा	डौलर	320	55.95	17904.00
6	76	1.4.18	आस्ट्रेलिया	डौलर	10	53.62	536.20
7	76	1.4.18	नही दिया है	रियाल	1	19.93	19.93
8	79	14.5.18	कनाडा	डौलर	40	55.95	2238.00
9	79	14.5.18	नही दिया है	यूरो	5	88.27	441.35
						योग	**₹21906.01**

(ख) बैंक से विदेषी मुद्रा वापस प्राप्त होने पर स्ट्राँग रूम में जमा न करने के कारण ₹2.75 लाख की अनियमितता बारेः–

विदेशी मुद्रा रजिस्टर का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि दिनांक 16.10.18 को निम्न विवरणानुसार ₹275285.21 की विदेशी मुद्रा बैंक में विनियमन हेतु भेजी गई थी । बैंक द्वारा विनियमन से इन्कार करने पर यह मुद्रा वापस कर दी गई परन्तु इसके उपरान्त इस मुद्रा को वापस स्ट्राँग रूम में नही रखा गया । अतः यह स्पष्ट किया जाए कि यह विदेशी मुद्रा कहां है तथा इसे वापस प्राप्त करके मन्दिर न्यास निधि में जमा करवाया जाए अन्यथा मामले की जांच करके इसकी भरपाई सम्बन्धित से की जानी सुनिंश्चित की जाए तथा की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

कम संख्या	विदेशी मुद्रा रजिस्टर पृष्ठ संख्या	दिनांक	जिस देश की मुद्रा है	मुद्रा की मात्रा	भारतीय राशि में वर्तमान मूल्य	राशि
1	2	3	4	5	6	5X6
1	5	16.10.18	यू.एस.ए. डालर	520	74.72	38,854.40
2	16	16.10.18	कनाडा डालर	495	55.95	27,695.25
3	43	16.10.18	आष्ट्रेलियन डालर	3790	53.62	2,03,219.80
4	71	16.10.18	सिंगापुर डालर	24	54.34	1,304.16
5	74	16.10.18	शिलिंग	1000	0.70	700
6	78	16.10.18	न्यूजीलैण्ड डालर	70	49.78	3,484.60
						₹2,75,258.21

(ग) विदेषी मुद्रा /स्टॉक रजिस्टर का सत्यापन न करना :–

अंकेक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि विदेशी मुद्रा/स्टाक रजिस्टर में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में शेष नही निकाले गए थे तथा न ही सक्षम अधिकारी द्वारा इसकी सत्यापना करवाई गई थी जिसके अभाव में उक्त रजिस्टर में दर्ज विदेशी मुद्रा की मात्रा के सही होने की पुष्टि नही की जा सकी ं। अतः प्रत्येक वित्तीय वर्ष में विदेशी मुद्रा की गणना करके सक्षम

प्राधिकारी से सत्यापन करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

16 ₹206.43 लाख के बिल वाउचर अंकेक्षण में प्रस्तुत न करनाः–

चयनित मास के व्यय एवं भुगतान वाउचरों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार ₹2,06,42,755/–के बिल वाउचर अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किए गए जिसके अभाव में व्यय/भुगतान की गई राशियों का सत्यापन अंकेक्षण में नही किया जा सका । इस प्रकार मूल अभिलेख के अभाव में ऐसे प्रकरणों में किसी प्रकार के दुर्विनियोजन से भी इन्कार नही किया जा सकता । अतः इन व्यय एवं भुगतान वाउचरों को सम्बन्धित अभिलेख सहित आगामी अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण/ सत्यापनार्थ प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा चूककर्ता के विरूद्व उचित कार्यवाही अमल में लाई जाए और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

Sr. No.	Voucher Number as per payment account	Date	Amount (Rs.)	Particulars
1	416	18-10-16	50,000.00	Payment to knight detective and security service
2	419	24-10-16	2,54,178.00	EPF employer/ voluntary share
3	420	24-10-16	2,35,696.00	EPF employer/ voluntary share
4	426	26-10-16	22,210.00	Vehicle R&M
5	427	26-10-16	1,000.00	Vehicle R&M
6	441	28-10-16	62,629.00	Shambhu Prasad Contractor Payment
7	444	28-10-16	54,000.00	General rapair and maintainance
8	446	29-10-16	15,140.00	Vehicle R & M
9	447	31-10-16	6,500.00	Medival reimbursement to virendra Sharma peon
10	250	1-7-17	10,500.00	Kanya vivah help to Sh. Sampuran Singh
11	251	1-7-17	21,000.00	Kanya vivah help to km, shivani

12	253	1-7-17	2,964.00	Rent of staff quarters
13	256	1-7-17	11,928.00	Sudha graphics Kala Amb
14	268	11-7-17	48,175.00	Secretary SPCA (Gaushala)
15	271	11-7-17	10,500.00	Kanya vivah help to Sh. Hira Singh
16	282	14-7-17	6,400.00	JD Comminication Nahan for intercom repair
17	284	18-7-17	2,058.00	Telephone exp.
18	285	18-7-17	73,500.00	Arrear of DA
19	286	18-7-17	3,350.00	Educational help to sh. Naresh Kumar s/o Yashpal
20	289	22-7-17	2,000.00	Advance to Brahm Dutt Driver
21	301	25-7-17	5,100.00	Help in death cases to Kiran Devi
22	302	25-7-17	1,84,00,000.00	Sandeep sud land owner payment
23	304	27-7-17	10,000.00	Educational help to sh. Anil kr
24	305	28-7-17	35,000.00	Medical help to Neelam Devi
25	358	1-10-18	6,677.00	Advertisement exp.
26	365	1-10-18	1,825.00	Secretary SPCA (Gaushala)
27	371	5-10-18	80,319.00	Distt Ayurvedic advance for mela
28	372	9-10-18	4,50,000.00	Vardaan packaging and automation payment
29	373	9-10-18	2,76,710.00	Skypack india pvt ltd
30	374	10-10-18	15,000.00	Kanya vivah sahayta to ---- (name not written)
31	375	10-10-18	15,000.00	Kanya vivah sahayta to ---- (name not written)
32	381	15-10-18	1,00,000.00	Assistance manager temple mela advance
33	390	22-10-18	1,67,644.00	Shambhu Prasad contractor for

				repair and maintainance work in bhandara hall
34	394	24-10-18	21,000.00	Kanya vivah sahayta to ---- (name not written)
35	395	24-10-18	21,000.00	Kanya vivah sahayta to ---- (name not written)
36	396	24-10-18	15,000.00	Kanya vivah sahayta to ---- (name not written)
37	421	29-10-18	5,933.00	TDS
38	422	29-10-18	8,000.00	Electric repair and maintainance
39	429	31-10-18	12,495.00	Group insaurance policy
40	430	31-10-18	1,02,324.00	Daily bhandara exp.
		Total	**₹20642755.00**	

17 ₹3.64 लाख की राषि का बिना पारित आदेष के भुगतानः—

उपरोक्त पैरा में वर्णित के अतिरिक्त, चयनित मास के व्यय एवं भुगतान वाउचरों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार ₹363508 के बिल वाउचरों पर पारितकर्ता सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर, वित्तीय स्वीकृति, बजट प्रावधान आदि मौजूद नही था। अंकेक्षण के बार बार अनुरोध करने पर भी यह अभिलेख अंकेक्षण को नही दिखाया गया । परिणामस्वरूप इस भुगतान की पुष्टि अंकेक्षण में नही की जा सकी तथा राशि का बिना पारित किए भुगतान किया जाना एक गम्भीर अनियमितता को दर्शाता है । अतः इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करते हुए उपरोक्त अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

कम सं0	**वाउचर संख्या व दिनांक (भुगतान लेखे अनुसार)**	**विवरण**	**राशि**	**अंकेक्षण आपत्ति**
1	390 / 4.10.16	सहायक अभियन्ता मेला अग्रिम	15000.00	वाउचर फाईल में केवल एकल वाउचर प्रपत्र था जिस पर पारित आदेश, वित्तीय

7				स्वीकृति, प्राक्कलन आदि नही पाए गए ।
2	391/4.10.16	सहायक प्रवन्धक मेला अग्रिम	15000.00	...यथोपरि...
3	395/10.10.16	राना बिल्डिंग मैटिरियल व सप्लायर को रेत की आपूर्ति हेतु	37700.00	बिलों को DDO/ SDM द्वारा पारित व स्वीकृत नही किया गया था।
4	396/10.10.16	मनीष कुमार त्रिलोकपुर, ट्रैक्टर के प्रयोग हेतु	6300.00	...यथोपरि...
5	398/10.10.16	कन्या विवाह दान	37,000.00	बिलों को DDO/ SDM द्वारा पारित व स्वीकृत नही किया गया था।
6	397/10.10.16	मै0 जितेन्द्र सिहं मान कालाआम्ब को चैत्र मेलों में स्कूल मैदान में जेसीबी कार्य हेतु	2900.00	बिलों को DDO/ SDM द्वारा पारित व स्वीकृत नही किया गया था।
7	398/10.10.16	हिम फैड नाहन को भुगतान	500.00	वाउचर फाईल में केवल एकल वाउचर प्रपत्र था जिस पर पारित आदेश, वित्तीय स्वीकृति, प्राक्कलन आदि नही पाए गए ।
8	399/10.10.16	डीजल के क्रय हेतु	2957.00	वाउचर फाईल में केवल एकल वाउचर प्रपत्र था जिस पर पारित आदेश, वित्तीय स्वीकृति, प्राक्कलन आदि नही पाए गए ।
9	399/15.10.16	आश्विन मेला	46410.00	बिलों को DDO/ SDM

		ब्यय		द्वारा पारित व स्वीकृत नही किया गया था।
10	403 / 17.10.16	मेला कार्य हेतु आकस्मिक कर्मचारियों को भुगतान हेतु सहायक प्रबन्धक लेखा को देय	143100.00	वाउचर फाईल में केवल एकल वाउचर प्रपत्र था जिस पर पारित आदेश, वित्तीय स्वीकृति, हाजिरी व प्रमाण पत्र आदि संलग्न नही पाए गए ।
11	237 / 11.7.17	चैत्र मेला नवरात्रि ब्यय	5678.0	वाउचर फाईल में केवल एकल वाउचर प्रपत्र था जिस पर पारित आदेश, वित्तीय स्वीकृति, प्राक्कलन आदि नही पाए गए ।
12	340 / 26.10.18	टोटल सोल्यूशन मोहाली को सफाई मशीन की सर्विस हेतु	50963.00	बिल संलग्न नही था केवल कुटेशन प्रपत्र पर ही भुगतान कर दिया गया था । तथा DDO/ SDM द्वारा पारित व स्वीकृत नही किया गया था।
			₹363508.00	

18. ₹2.57 लाख के अग्रिम हेतु उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करनाः–

माह 10 / 18 की वाउचर फाईल की पडताल करने पर पाया गया कि वा0 सं0 314 दिनांक 1.10.18 के द्वारा मन्दिर न्यास ने पुलिस अधीक्षक सिरमौर को ₹2,57,000 / – की राशि बोडी वार्म कैमरा (11 no. body warm cemeras with night vision) की खरीद हेतु अग्रिम दिए थे । इस अग्रिम हेतु मन्दिर न्यास ने अंकेक्षण की समाप्ति तक सम्बन्धित विभाग से उक्त राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नही किए थे जो कि उचित नही है । अतः यह प्रमाण पत्र शीघ्र पुलिस अधीक्षक कार्यालय से प्राप्त करके अंकेक्षण को दिखाए जाने सुनिश्चित किए जाऐं ।

19. विद्युत बिल के भुगतान से सम्बन्धित अनियमितता बारेः–

(क) अवधि 4 / 16 से 3 / 19 के लेखाओं का अंकेक्षण करने के दौरान व्यय की विस्तृत जांच हेतु चयनित मास 07 / 2017 के वाउचर्स की पड़ताल करते हुए पाया

गया कि वाउचर संख्या 267 दिनांक 18.7.17 द्वारा विद्युत मीटर नम्बर 5312352 का अवधि 9.6.17 से 7.7.17 तक का बिल ₹40799 दिया गया था। इस बिल पर पुरानी रीडिंग 587378.80 तथा नई रीडिंग 593226.60 दर्शा कर कुल 5847.80 यूनिट की खपत हेतु यह बिल जारी किया गया था । बिल की सम्बन्धित रजिस्टर में जांच करने पर पाया गया कि पृष्ठ संख्या 39 पर दिए गए विवरणानुसार जून माह में इसी मीटर का 590997 रीडिंग तक बिल का भुगतान पूर्व में ही किया जा चुका था । अतः यह बिल 587378.80 रीडिंग से आरम्भ न हो कर 590997 से जारी किया जाना चाहिए था । इस प्रकार कुल 3618.20 यूनिट के बिल का अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है । जिसके लिए स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा अधिक यूनिट हेतु किए गए भुगतान की औसतन राशि 40799/5847.80 = 6.98 x 3618.20=₹25244/–की वसूली सम्बन्धित से करके मन्दिर न्यास के खातें में शीघ्र जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) माह 07/2017 के वाउचर्स की पडताल करते हुए पाया गया कि वाउचर संख्या 284 दिनांक 27.7.17 द्वारा विद्युत मीटर नम्बर टीपीटी 688 का बिल ₹16597/–का भुगतान किया गया था । बिल वाउचर के साथ विद्युत विभाग द्वारा जारी किया गया बिल व भुगतान की रसीद संलग्न नही थी तथा न ही अंकेक्षण को दिखाई गई । अतः यदि भुगतान वास्तव में किया गया है तो यह बिल व रसीद सम्बन्धित से प्राप्त करके वाउचर के साथ संलग्न की जाए तथा आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए ।

20 सहायक प्रबन्धक लेखा को ₹0.01 लाख की राषि का अनुचित भुगतानः–

माह 10/2018 की वाउचर फाईल की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि वाउचर संख्या 329 दिनांक 15.10.18 द्वारा सहायक प्रबन्धक लेखा को ₹1620/– की राशि फोटोस्टेट पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति के तौर पर दी गई थी । बिल पर दिए प्रमाण पत्र अनुसार इस बिल के द्वारा, मेला व न्यास की बैठक की कार्यवाही की प्रतियों के 30 सैट फोटोस्टेट का कार्य करवाया गया था । बैठक की कार्यवाही का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि कार्यवाही की कुल 15 ही पृष्ठ थे। अतः 30 सैट फोटोस्टेट करवाने पर कुल प्रतियां 450 ही बनती है अर्थात 450 पृष्ठ के ₹1/– के हिसाब से केवल ₹450/– का ही भुगतान किया जाना चाहिए था । अतः अधिक किए गए भुगतान ₹1170/– हेतु स्थिति स्पष्ट की जाए अथवा अधिक भुगतान की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को सूचित किया जाए ।

21. सहायक प्रबन्धक मन्दिर को ₹0.02 लाख का अधिक भुगतानः–

माह 10/2018 की वाउचर फाईल की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि वाउचर संख्या 344 दिनांक 24.10.18 द्वारा सहायक प्रबन्धक मन्दिर को ₹2,90,000/– का भुगतान किया गया था जो मेले के दौरान लगाए गए नेहरू युवा केन्द्र के कर्मचारी व अन्य आकस्मिक श्रमिकों को भुगतान हेतु दिए गए थे । बिल के साथ सलंग्न हाजिरी विवरणानुसार इन कर्मचारियों को देय ₹2,88,080/– बनती थी। इस प्रकार सहायक प्रबन्धक मन्दिर को ₹1920/– अधिक भुगतान किया गया था जो कि सहायक प्रबन्धक मन्दिर द्वारा न तो वापस न्यास के कोष में जमा करवाए गए तथा न ही उक्त कर्मचारियों को भुगतान किए जाने को कोई अभिलेख बिल के साथ पाया गया। अतः इस राशि को अनियमित रूप से अपने पास रखने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा ब्याज सहित राशि की वसूली करके न्यास के कोष में जमा करवा कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

22 निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹5.42 लाख का अनुचित भुगतानः–

अंकेक्षण के दौरान चयनित मास के ब्यय वाउचरों की जांच में पाया गया कि निम्न तालिका में दिये गये विवरणानुसार ₹542400/–का भुगतान हि0 प्र0 वित्त नियमावली 2009 के नियम 98 के प्रावधानों की अवहेलना करते हुए किया गया है । इस व्यय को करने से पूर्व न तो निविदाऐं आमंत्रित की गई हैं और न ही दर सविंदा के आधार पर किया गया है । इस प्रकार संस्था द्वारा बाजार की प्रतिस्पर्धात्मक दरों का लाभ नही उठाया गया है। नियमों की अवहेलना का औचित्य स्पष्ट करते हुए व्यय को सक्षम प्राधिकारी (आयुक्त मन्दिर न्यास) से एकल निविदा के आधार पर की गई खरीद के आधार पर विशेष कार्योत्तर स्वीकृति लेकर नियमित करवाया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाएः–

क.	वाउचर सं0	दिनांक	विवरण	राशि (₹)
1	396	10.10.16	ट्रैक्टर के प्रयोग हेतु	6,300.00
2	360	29.10.18	वाद्य यन्त्रों की मुरम्मत हेतु	4,500.00
3	398	17.10.16	मेलों के दौरान प्राइवेट सुरक्षा हेतु नाईट डिटैक्टिव एण्ड सिक्योरिटी सर्विसिज मोहाली को भुगतान	531600.00
			कुल	**₹542400.00**

23 हिमाचल प्रदेष हिन्दु सार्वजनिक धार्मिक संस्था एवं पूर्व विन्यास अधिनियम 1984 में प्रावधान के बिना की गई ₹98.07 लाख की चैरिटीः—

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मन्दिर न्यास त्रिलोकपुर द्वारा प्रति वर्ष कन्या विवाह सहायता, चिकित्सा सहायता या मृत्यु हो जाने के बाद सहायता आदि पर चैरिटी की जा रही थी जिसकी राशि निम्न विवरणानुसार थी :—

वर्ष	**व्यय की गई राशि**	**विवरण**
2016—17	30,67,100.00	कन्या विवाह सहायता
	9,40,979.00	अन्य चैरिटी
2017—18	28,99,000.00	कन्या विवाह सहायता
	6,09,518.00	अन्य चैरिटी
2018—19	20,41,000.00	कन्या विवाह सहायता
	2,49,000.00	अन्य चैरिटी
कुल	**₹98,06,597.00**	

हिमाचल प्रदेश हिन्दु सार्वजनिक धार्मिक संस्था एवं पूर्व विन्यास अधिनियम 1984 की धारा 22 में इस प्रकार का कोई प्रावधान नही था । उक्त अधिनियम की धारा 22 के अनुसार, Budget for reliigous institution and charitable endowments shall make adequate provisions for –

(c) expenditure on reliigious, educational and charitable purpose not inconsistent with the objects of the institution.

(f) fifteen percent of the receipt of the Hindu public Religious Institution and Charitable Endowments shall be utilized as the first charge for construction, maintainance and up-gradation of Gau Sadans or for Gau Vansh samvardhan.

इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा 17 के अनुसार, Authority of trustee to incur expenditure for securing the health, safety of convenience of pilgrims and worshippers:-

The trustee of a Hindu public Religious Institution and Charitable Endowments may, out of the funds in his charge, after satisfying adequately the purpose of the institution, or endowment as the case may be, including the proper performance of the puja and other rituals incur expenditure,

(a) for propagation of Hindu religion and faith according to the tenets of the religious institution.

(b) For establishment and maintainance of the educational institutions.

(c) For training of Vidyarthies, and

(d) For securing the health, safety and convenience of disciples, pilgrims and worshippers visiting the onstitution or endowment.

अतः हिमाचल प्रदेश हिन्दु सार्वजनिक धार्मिक संस्था एवं पूर्व विन्यास अधिनियम 1984 की धारा 17 या 22 में कन्या विवाह सहायता हेतु किसी प्रकार का प्रावधान नही किया गया है फिर भी मन्दिर न्यास त्रिलोकपुर द्वारा प्रति वर्ष लाखों रूपये की सहायता इस मद पर की जा रही है यदि इस सहायता हेतु अधिनियम में प्रावधान है तो कृपया मन्दिर अंकेक्षण को इस बारे में सूचित किया जाए।

24 निर्धन कन्याओं को सहायता राषि के अनियमित भुगतान बारेः—

हिमाचल प्रदेश हिन्दु सार्वजनिक धार्मिक संस्था एवं पूर्व विन्यास अधिनियम 1984 की धारा 17 में निम्नलिखित प्रावधान किया गया है :—

Authority of trustee to incur expenditure for securing the health, safety of convenience of pilgrims and worshippers:-

The trustee of a Hindu public Religious Institution and Charitable Endowments may, out of the funds in his charge, after satisfying adequately the purpose of the institution, or endowment as the case may be, including the proper performance of the puja and other rituals incur expenditure,

(a) for propagation of Hindu religion and faith according to the tenets of the religious institution.

(b) For establishment and maintainance of the educational institutions.

(c) For training of Vidyarthies, and

(d) For securing the health, safety and convenience of disciples, pilgrims and worshippers visiting the onstitution or endowment

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि हिन्दु मन्दिर न्यासों की निधि का उपयोग हिन्दु धर्म के ही प्रचार प्रसार एवं उपयोग हेतु किया जा सकता है परन्तु व्यय हेतु चयनित मास के अंकेक्षण में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार मन्दिर न्यास द्वारा विवाह हेतु दी जाने वाली सहायता राशि अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत हिन्दु धर्म के अतिरिक्त अन्य धर्म के व्यक्तियों को भी

प्रदान की जा रही थी । यदि हिमाचल प्रदेश हिन्दु सार्वजनिक धार्मिक संस्था एवं पूर्व विन्यास अधिनियम 1984 में हिन्दु धर्म के अतिरिक्त अन्य धर्म से सम्बन्धित व्यक्तियों को यह सहायता राशि प्रदान किए जाने का कोई प्रावधान है तो अंकेक्षण को सूचित किया जाए अन्यथा इस व्यय बारे स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए तथा सक्षम प्राधिकारी से कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त करके नियमित करवाया जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को सूचित किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

कम संख्या	वाउचर संख्या व दिनांक	लाभार्थी का नाम व पता	राशि (रूपयों में)
1	398 दिनांक 15.10.16	फयाज मोहम्मद निवासी रामकुण्डी नाहन	5,500.00
2	...यथोपरि..	सेहराज निवासी डेबरी टिक्करी नाहन	10,500.00
3	...यथोपरि..	नसीम खान निवासी मिश्रवाला पांवटा साहिब	10,500.00
4	...यथोपरि..	श्रीमती सजदा बेगम पत्नि श्री जाहिद अहमद निवासी कच्चा टैंक नाहन	10,500.00
5	213 दिनांक 1.7.17	कु0 समीना पुत्री श्री मन्जूरा निवासी पलहोडी पांवटा	10,500.00
6	271 दिनांक 24.7.17	सरीफू पुत्र श्री नूरदीन निवासी पलहोडी पांवटा	10,500.00
7	277 दिनांक 24.7.17	आयशा खान पुत्री महबूब खान निवासी अमरपूर नाहन	10,500.00
8	323 दिनांक 5.10.18	दीन मुहम्मद पुत्र श्री रहमतुल्ला निवासी शम्भुवाला नाहन	21,000.00
9	322 दिनांक 5.10.18	अमृत कौर निवासी मोहल्ला गोविन्दगढ नाहन	21,000.00
		कुल	**₹1,10,500.00**

25 स्थापना चैक रजिस्टर (ECR) का न बनानाः—

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मन्दिर न्यास कार्यालय में स्थापना चैक रजिस्टर नही लगाया गया था । जिस कारण विभिन्न कर्मचारियों की सेवा पंजी में दर्ज वेतन व भतों सम्बन्धी प्रविष्टियों का मिलान नही किया जा सका। अंकेक्षण द्वारा फिर भी वेतन बिलों के साथ सेवा पंजिकाओं की प्रविष्टियों का मिलान करके नमूना जांच करने का प्रयास किया गया जिसमें अत्याधिक त्रुटियां/ अनियमितताऐं /अनुचित लाभ दिए जाने के प्रकरण सामने आए जिनका उल्लेख आगामी पैरा संख्या 28 से 37 तक किया गया है । इस अनियमितता बारे पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी लगातार कार्यालय को ध्यान दिए जाने बारे निर्देश दिए जाते रहे हैं परन्तु न्यास कार्यालय द्वारा किसी प्रकार की कार्यवाही अभी तक नही की गई है । परिणामस्वरूप अनुचित लाभ दिए जाने का सिलसिला जारी है तथा चूंकि नमूना जांच में कुछ ही मामले सामने आ पाते है, कार्यालय द्वारा अपने स्तर पर किसी प्रकार की जांच न किए जाने के कारण मन्दिर न्यास कोष की हानि की भरपाई नही हो रही है । अतः उच्चाधिकारियों का ध्यान इस ओर विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है ।

26 अग्रिम रजिस्टर (Advance Register) का न बनाना :—

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मन्दिर न्यास कार्यालय में अग्रिम रजिस्टर नही लगाया गया था । जिस कारण यह जांच नही हो सकी कि कार्यालय द्वारा किस कर्मचारी/ अधिकारी को कब, कितनी राशि, किस कार्य हेतु अग्रिम के तौर पर प्रदान की गई थी तथा उस राशि का समय पर समायोजन किया गया है अथवा नही। कई अग्रिम राशियों का विवरण सम्बन्धित माह के payment Account में भी नही था। उदाहरण के तौर पर व्यय हेतु चयनित माह 10/2016 में वाउचर फाईल अनुसार वाउचर संख्या 391 दिनांक 4.10.2016 द्वारा सहायक प्रबन्धक मन्दिर को मेला अग्रिम ₹15,000/— दिए गए थे जिसे payment Account में नही दर्शाया गया था । वाउचर फाईल में भी इस वाउचर प्रपत्र के अतिरिक्त कोई संलग्नक नही था तथा वाउचर प्रपत्र पर पारितकर्ता सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर नही थे । केवल लेखाकार के हस्ताक्षर के आधार पर ही राशि का भुगतान कर दिया गया था । अतः अग्रिम रजिस्टर के न बनाए जाने के कारणों की वस्तुस्थिति अंकेक्षण को स्पष्ट की जाए तथा भविष्य हेतु यह रजिस्टर बनाया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

27. सेवा पंजिकाओं में गलत/अधूरी सूचना दर्ज करने के सम्बन्ध में :—

अवधि 4/16 से 3/19 के दौरान नियमित किए गए कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं की लेखा परीक्षा करने पर पाया गया कि निम्नलिखित कर्मचारियों को नियमितिकरण के

उपरान्त, उनकी सेवा पंजिका में दर्ज की गई सूचनाऐं या तो अधूरी थी या निजी नस्ति में लगे अभिलेख के साथ मेल नही खाती थी । जैसे कि उक्त कर्मचारियों की प्रथम कार्य ग्रहण सूचना को सक्षम अधिकारी से हस्ताक्षरित करवा कर डायरी नही किया गया था । निजी नस्ति में पेज नम्बरिंग नही की गई थी तथा सेवा पंजी में सेवा सत्यापन के बिना ही इन कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान कर दिया गया था ।

क्रमांक	नाम	पदनाम	प्रथम कार्य ग्रहण सूचना की तिथि	सेवा पंजिका में दर्ज की गई तिथि
1	श्री कर्मचन्द	प्रोफैशनल स्वीपर	19.10.16(अपराहन)	20.10.16
2	श्री रमेश चन्द	स्वीपर	19.10.16(अपराहन)	20.10.16
3	श्री राजेश कुमार	पुजारी	19.10.16(अपराहन)	20.10.16

उक्त के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करते हुए अभिलेख को सही किया जाए तथा भविष्य में सेवा पंजिकाओं में सही व पूर्ण जानकारी दर्ज की जानी सुनिश्चित की जाए ।

28 श्री मुकेष षर्मा, पुजारी का अभिलेख प्रस्तुत न करनाः—

श्री मुकेश, पुजारी को माह अक्टूबर 2016 में नियमित किया गया था तथा नियमितिकरण के उपरान्त कर्मचारी ने 19.10.16 (अपराहन) को अपनी कार्य ग्रहण सूचना प्रस्तुत की थी परन्तु अंकेक्षण को कर्मचारी की निजी नस्ति, कार्य ग्रहण सूचना, नियमितिकरण की शर्तें व नियम, योग्यता प्रमाण पत्र आदि नही दिखाए गए जिस कारण उक्त अभिलेख की जांच नही की जा सकी । अतः यह अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

29 ₹6.30 लाख का वेतन में अधिक भुगतानः—

अंकेक्षण के दौरान सेवा पंजिकाओं की जांच में पाया गया है कि दो सुरक्षा कर्मियों को नियमितिकरण के दो वर्ष उपरान्त संशोधित वेतनमान व ग्रेड पे का लाभ देकर उन्हें 10300—34800+3200 ग्रेड पे का लाभ दिया गया है जबकि हि0 प्र0 सरकार वित विभाग के पत्र संख्या Fin(PR)-B(7)-64/2010 दिनांक 14 जनवरी 2015 के अनुसार यह लाभ लगातार 8 वर्ष के सेवाकाल के उपरान्त दिया जाना था । इस अनियमितता के कारण सुरक्षा कर्मियों को किए गए गलत/ अधिक वेतन तथा अपेक्षित सही वेतन का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है जिसके आधार पर इन दोंनों को किए गए ₹6,29,724/— के अधिक भुगतान की गणना का विवरण (दिनांक 1.10.18 से 31.7.2020 तक) **परिषिष्ट —(छ)(1) व (2)** पर संलग्न है । अनियमित रुप से किए गए इस भुगतान हेतु अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 143 दिनांक 15.9.2020 द्वारा मन्दिर न्यास से पूछा गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक इस बारे में कोई भी उत्तर

नहीं दिया गया। अतः इस बारे या तो वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए या किए गए अधिक अनियमित भुगतान की वसूली सम्बन्धित से करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

1 श्री नरेष कुमार पुत्र श्री रामगोपाल, सुरक्षा कर्मचारीः–

प्रथम नियुक्ति की तिथि– 20.10.2016				
सुरक्षा कर्मचारी वेतनमान 5910–20200 ग्रेड पे 1900				
क0	**दिनांक**	**आहरित वेतन प्रतिमाह**	**वेतन प्रतिमाह**	**टिप्पणी**
1	20.10.2016	5910+1900=7810	5910+1900=7810	
2	01.10.2017	5910+240=6150+1900= 8050	5910+240=6150+1900= 8050	
3	01.10.2018	10300+3200=13500	6150+250=6400+1900= 8300	
4	01.10.2019	10300+410=10710+3200= 13910	6400+250=6650+1900= 8550	

2 श्री लाल सिहं पुत्र श्री बलबीर सिहं, सुरक्षा कर्मचारीः–

प्रथम नियुक्ति की तिथि– 20.10.2016				
सुरक्षा कर्मचारी वेतनमान 5910–20200 ग्रेड पे 1900				
क0	दिनांक	आहरित वेतन	देय वेतन	टिप्पणी
1	20.10.2016	5910+1900=7810	5910+1900=7810	
2	01.10.2017	5910+240=6150+1900= 8050	5910+240=6150+1900= 8050	
3	01.10.2018	10300+3200=13500	6150+250=6400+1900= 8300	
4	01.10.2019	10300+410=10710+3200= 13910	6400+250=6650+1900= 8550	

30 ₹1.45 लाख का वेतन में अधिक/अनियमित वेतन भुगतानः–

अंकेक्षण के दौरान सेवा पंजिकाओं की जांच में पाया गया कि दो पुजारियों को हि0 प्र0 सरकार की अधिसूचना संख्या संख्या Fin(PR)-B(7)-64/2010 दिनांक 27.09. 2012 के आधार पर वेतनमान 10300–34800+3200 ग्रेड पे में संशोधन करके 2 वर्ष की सेवा उपरान्त दिनांक 1.10.18 से ग्रेड पे बढाकर ₹4400/– का लाभ दिया गया है । सर्वप्रथम तो इन कर्मचारियों को 2 वर्ष दिनांक 1.10.18 के स्थान पर दिनांक 20.10.18 को पूर्ण हो रहे थे । तदोपरान्त इस अधिसूचना द्वारा हि0 प्र0 सरकार के पदवार वेतनमान संशोधित किए गए थे जिसके दिशा निर्देशों के अनुसार यह वेतनमान उन्ही पदो के लिए लागू थे जिन्हें उपरोक्त अधिसूचना में शामिल किया गया है । मन्दिर न्यास द्वारा पुजारियों के वेतनमान संशोधित करने हेतु उपरोक्त अधिसूचना को ही आधार बनाया गया है । जबकि मन्दिर न्यास के पुजारियों के

वेतनमान उपरोक्त अधिसूचना के आधार पर संशोधित नही किए जा सकते थे क्योंकि मन्दिर पुजारियों का पद उपरोक्त अधिसूचना में शामिल नही था । इस अनियमितता के कारण पुजारियों को भुगतान किए गए गलत/ अधिक वेतन तथा अपेक्षित सही वेतन का विवरण निम्न तालिकाओं में दिया गया है जिसके आधार पर इन दोंनों को किए गए ₹1,45,472/—के अधिक भुगतान की गणना का विवरण (दिनांक 1.10.18 से 31.7.2020 तक) **परिषिष्ट —ज (1)व(2)** पर भी दिया गया है । अनियमित रुप से किए गए इस भुगतान हेतु अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 143 दिनांक 15.9.2020 द्वारा मन्दिर न्यास से स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी उत्तर अंकेक्षण को प्राप्त नही हुआ। अतः इस बारे या तो वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए या किए गए अधिक अनियमित भुगतान की वसूली सम्बन्धित से करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

श्री राजेश कुमार पुजारीः—

प्रथम नियुक्ति की तिथि— 19.10.2016(अपराहन)				
वेतनमान 10300—34800 ग्रेड पे 3200				
क0	दिनांक	आहरित वेतन	देय वेतन	टिप्पणी
1	20.10.2016	10300+3200=13500	10300+3200=13500	
2	01.10.2017	10300+410=10710+3200= 13910	10300+410=10710+3200= 13910	
3	01.10.2018	10710+420=11130+4400= 15530	10710+420=11130+3200= 14330	
4	01.10.2019	11130+470=11600+4400= 16000	11130+430=11560+3200= 14760	

2 श्री मुकेष षर्मा पुजारीः—

प्रथम नियुक्ति की तिथि— 19.10.2016(अपराहन)				
वेतनमान 10300—34800 ग्रेड पे 3200				
क0	दिनांक	आहरित वेतन	देय वेतन	टिप्पणी
1	20.10.2016	10300+3200=13500	10300+3200=13500	
2	01.10.2017	10300+410=10710+3200= 13910	10300+410=10710+3200= 13910	
3	01.10.2018	10710+420=11130+4400= 15530	10710+420=11130+3200= 14330	
4	01.10.2019	11130+470=11600+4400= 16000	11130+430=11560+3200= 14760	

31 ₹813 का अधिक भुगतानः—

अंकेक्षण के दौरान सेवा पंजिकाओं व वेतन बिलों की जांच में पाया गया कि श्री वीरबल, श्री रमेश व श्री बाबूराम, तीनों रसोईयाओं, को दिया गया वेतन सेवा पंजिका में की गई प्रविष्टियों के अनुसार नही था । इन कर्मचारियों को 4/2016 में वेतन 6620+ 1650 =8270 के स्थान पर ₹8280 दिया गया था तथा 05/2016 से 03/2017 तक 6870+1650=8520 के स्थान पर ₹8530 दिया गया था । इस चूक के कारण तीनों कर्मचारियों को कुल ₹813/— का अधिक भुगतान किया गया जिसकी गणना निम्न प्रकार है :—

क्र.	अवधि	सेवा पंजी अनुसार देय वेतन+ मंहगाई भत्ता+ अन्तरिम राहत	वेतन बिल अनुसार दिया गया वेतन	अधिक भुगतान
1	04/2016	8270+10338+662=19270	8280+10350+662=19292	22
2	05/16 से 06/16	8520+10650+682=19858	8530+10663+682=19875	17X2 =34
3	07/16	8520+11076+682=20278	8530+11089+682=20301	23
4	08/16 से 12/16	8520+11076+1108=20704	8530+11089+1109=20728	24X5 =120
5	01/17 से 03/17	8520+11417+1108=21045	8530+11430+1109=21069	24X3 =72
			कुल	**₹271**
श्री वीरबल, श्री रमेश व श्री बाबूराम, तीनों रसोईयाओं, को दिया गया अधिक वेतन= 271X3 =**₹813/—**				

अनियमित रुप से किए गए इस भुगतान हेतु अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 143 दिनांक 15.9. 2020 द्वारा मन्दिर न्यास से इस बारे स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी उत्तर अंकेक्षण को प्राप्त नही हुआ। अतः इस बारे या तो वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए या किए गए अधिक अनियमित भुगतान की वसूली सम्बन्धित से करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

32 श्री सुरेश कुमार, वरिष्ठ पुजारी को ₹0.36 लाख का अधिक भुगतान करने बारेः—

माह 07/2017 के वेतन बिलों की जांच करने पर पाया गया कि श्री सुरेश कुमार वरिष्ठ पुजारी को देय वेतन से अधिक वेतन दिया गया था । जब कर्मचारी की सेवा पुस्तिका के साथ वेतन बिलों का मिलान किया गया तो ज्ञात हुआ कि कर्मचारी को यह अनुचित लाभ

काफी पहले से दिया जा रहा था । वार्षिक वेतन वृद्धि उपरान्त जो प्रविष्टियां सेवा पुस्तिका में की गई थी उस से एक अधिक वेतन वृद्धि वेतन बिल में दी जा रही थी । अंकेक्षण के आरम्भ की तिथि 04/2016 से 04/2018 तक किए गए अधिक भुगतान ₹35,633/– की गणना निम्न तालिका में की गई है ।

क्र	अवधि	सेवा पंजी अनुसार देय वेतन+ मंहगाई भत्ता+ अन्तरिम राहत	वेतन बिल अनुसार दिया गया वेतन	अधिक भुगतान
1	04/16 से 06/16	15700+4200=19900+24875 +1592=46367	15140+4200=19340+24 175+ 1547=45062	1305 X3=3915
2	07/16	15700+4200=19900+25870+1 592=47362	15140+4200=19340+25 142+1547=46029	1333
3	08/16 से 12/16	15700+4200=19900+25870+2 587=48357	15140+4200=19340+25 142+2514=46996	1361X 5 =6805
4	01/17 से 06/17	16300+4200=20500+27470+2 665=50635	15720+4200=19920+26 693+2590=49203	1432X 6 =8592
5	07/17	16300+4200=20500+28085+2 665=51250	15720+4200=19920+27 290+2590=49800	1450
6	08/17 12/17	16300+4200=20500+28085+3 485=52070	15720+4200=19920+27 290+3386=50596	1474X 5 =7370
7	01/18 से 04/18	16920+4200=21120+29568+3 590=54278	16320+4200=20520+28 728+3488=52736	1542X 4 =6168
			कुल	**₹35633**

अनियमित रुप से किए गए इस भुगतान हेतु अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 143 दिनांक 15.9. 2020 द्वारा मन्दिर न्यास से स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी उत्तर अंकेक्षण में प्राप्त नही हुआ । अतः इस बारे या तो वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए या किए गए अधिक अनियमित भुगतान की वसूली सम्बन्धित से करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए । उक्त के अतिरिक्त माह 4/16 से पूर्व में किए गए अधिक भुगतान की पड़ताल करके अधिक भुगतान की गणना करके अधिक भुगतान की भी वसूली करना सुनिश्चित की जाए।

33 ₹0.12 लाख की राशि का अनुचित लाभः–

माह 07/2017 के वेतन बिलों की जांच करने पर पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा 2 सेवादारों, श्री विरेन्द्र शर्मा व श्री मोहित चपडासी, को देय वेतन से अधिक वेतन दिया गया था। जब कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका के साथ वेतन बिलों का मिलान किया गया तो ज्ञात हुआ कि कर्मचारियों को यह अनुचित लाभ माह जून 2017 से अप्रेल 2018 तक किया गया था । इस अनियमितता के कारण कर्मचारियों को कुल ₹11,994/–का अनुचित भुगतान किया गया था जिसकी गणना निम्न प्रकार से है ।

क.	अवधि	सेवा पंजी अनुसार देय वेतन+ मंहगाई भत्ता+ अन्तरिम राहत	वेतन बिल अनुसार दिया गया वेतन	अधिक भुगतान
1	06/17	6420+1650=8070+10814 +1049=19933	6670+1650=8320+11149+ 1082=20551	618
2	07/17	6420+1650=8070+11056 +1049=20175	6670+1650=8320+11234+ 1082=20636	461
3	08/17 से 12/17	6420+1650=8070+11056 +1372=20498	6670+1650=8320+11234+ 1414=20968	470 x5 =2350
4	01/18 से 04/18	6420+1650=8070+11298 +1372=20740	6670+1650=8320+11648+ 1414=21382	642 x4 =2568
			कुल	**₹5,997**
श्री विरेन्द्र शर्मा व श्री मोहित चपडासी को दिया गया अधिक वेतन=5997+5997=				**₹11994/–**

अनियमित रुप से किए गए इस भुगतान हेतु अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 143 दिनांक 15.9. 2020 द्वारा मन्दिर न्यास से स्थिति स्पष्ट करने का कहा गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी उत्तर अंकेक्षण में प्राप्त नही हुआ। अतः इस बारे या तो वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए या किए गए अधिक/अनियमित भुगतान की वसूली सम्बन्धित से करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

34 श्री रमेष चन्द, माली को ₹0.06 लाख का अनियमित भुगतान करने बारेः–

माह 07/2017 के वेतन बिलों की जांच करने पर पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा श्री रमेश चन्द, माली को, उनके पक्ष में देय वेतन से अधिक वेतन दिया जा रहा था । कर्मचारी को दिनांक 20.10.16 से 4900+1300 ग्रेड पे पर नियमित किया गया था तथा 2 वर्ष की सेवा उपरान्त ग्रेड पे ₹1650 दी जानी थी । लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि कर्मचारी को माह 04/2017 से 10/2017 तक 4900+1650 /5090+1650 ग्रेड पे के आधार पर वेतन दिया गया था । इस अनियमितता के कारण कर्मचारी को 1650–1300=₹350/–अधिक वेतन देकर कुल ₹6,099/– का अनुचित लाभ दिया गया था जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

अवधि	विवरण
4/17 से 6/17	350+469+46=865X3=2595
7/17 से 10/17	350+480+46=876X4=3504
कुल	₹6,099

अनियमित रुप से किए गए इस भुगतान हेतु अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 143 दिनांक 15.9.2020 द्वारा मन्दिर न्यास से इस बारे में स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी उत्तर अंकेक्षण में प्राप्त नही हुआ । अतः इस बारे या तो वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए या किए गए अधिक अनियमित भुगतान की वसूली सम्बन्धित से करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

35 श्री चमन लाल मिस्त्री को ₹0.23 लाख का अनुचित भुगतान करने बारे

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा श्री चमन लाल मिस्त्री को गलत वार्षिक वेतन वृद्धि देकर या ACPs के लाभ प्रदान किए जाने उपरान्त भुगतान की गई बकाया राशि की गलत गणना करके कुल ₹23,003/– का अनुचित लाभ दिया गया था । जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

(क) अर्जित अवकाष होने पर भी वार्षिक वेतन बृद्धि का लाभ प्रदान करके दिया गया ₹290/– का अनुचित लाभः–

सेवा पुस्तिका की पडताल करने पर पाया गया कि श्री चमन लाल मिस्त्री की वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि प्रतिवर्ष पहली मई को होती है । कर्मचारी 1.5.18 से 10.5.18 तक अर्जित अवकाश पर होने के कारण दिनांक 1.5.2018 को जारी की जाने वाली वार्षिक वेतन वृद्धि कर्मचारी के अर्जित अवकाश उपरान्त कार्य ग्रहण करने की तिथि अर्थात 11.5.18 से प्रदान की जानी थी जबकि मन्दिर न्यास द्वारा कर्मचारी को यह लाभ 1.5.18 से ही प्रदान कर दिया था ।

इस प्रकार उसे कुल ₹290/- का अनुचित लाभ दिया गया । जिसका विवरण निम्न प्रकार हैः-

दिनांक 30.04.2018 को वेतन = 9150+2400 =11550

वार्षिक वेतन बृद्धि =11550x3%=348.50 अर्थात 350/-

वार्षिक वेतन बृद्धि उपरान्त वेतन = 9150+350=9500+2400 =11900

अन्तर = 11900-11550=350

दिनांक 1.5.18 से 10.5.18 का दिया गया अधिक वेतन=350+490+60=900÷31X10=290/-

(ख) अधिक वेतन देकर दिया गया ₹0.03 लाख का अनुचित लाभः-

अंकेक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि श्री चमन लाल मिस्त्री को दिनांक 1.5.18 से 30.9.18 तक देय वेतन 9500+2400=₹11900 के स्थान पर 9840+2400=₹12240 दिया गया था जिसके कारण कर्मचारी को निम्न विवरणानुसार कुल ₹3274 का अनुचित लाभ दिया गया था । इस प्रकार अधिक वेतन दिए जाने का कारण मन्दिर न्यास द्वारा अंकेक्षण को स्पष्ट नही किया गया ।

दिए गए वेतन का विवरण

1. माह मई व जून 2018 का दिया गया वेतन =9840+2400=12240+17136+2081=31457 X2= 62914

2. जुलाई, अगस्त व सितम्बर 2018 का दिया गया वेतन=9840+2400= 12240+17626+2081=31947 X3=95841

3. कुल दिया गया वेतन=62914+95841=₹158755 .... (1)

देय वेतन का विवरण

1. 1.5.18 से 10.5.18 तक देय वेतन =9150+2400 =11550 +16170+1964=29684÷31X10=9575

2. 11.5.18 से 31.5.18 तक देय वेतन= 9150+350=9500+2400 =11900+16660+2023= 30583÷31X21=20718

3. मई 2018 का कुल देय वेतन =9575+20718=30293

4. जून 2018 का देय वेतन=11900+16660+2023= 30583

5. जुलाई, अगस्त व सितम्बर 2018 का देय वेतन=11900+17136+2499= 31535X3=94605

6. कुल देय वेतन=30293+30583+94605=155481 ....(2)

अधिक भुगतान (1)-(2) =158755-155481= 3274

(ग) ACPs के लाभ प्रदान किए जाने उपरान्त भुगतान की गई बकाया राषि की गलत गणना करके दिया गया कुल ₹0.20 लाख की राशि का अनुचित लाभः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा माह 06/18 में विभिन्न कर्मचारियों को ACPs के लाभ प्रदान किए गए थे । जिसके अन्तर्गत श्री चमन लाल मिस्त्री को एरियर के रूप में कुल ₹66,387/–का भुगतान किया गया था जबकि एरियर की गणना करने पर सही राशि केवल ₹46,228/– ही बनती थी। इस प्रकार कर्मचारी को कुल ₹20,159/– का गलत/अधिक व अनुचित भुगतान किया गया था । जिसका विवरण(दिनांक 9.8.12 से 30.4.18 तक) संलग्न **परिषिष्ट– (झ)** पर दिया गया है ।

अनियमित रुप से किए गए इस भुगतान हेतु अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 143 दिनांक 15.9.2020 द्वारा मन्दिर न्यास से स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक किसी प्रकार का उत्तर अंकेक्षण में प्राप्त नही हुआ। अतः इस बारे या तो वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए या किए गए अधिक अनियमित भुगतान की वसूली सम्बन्धित से करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

36 सहायक प्रबन्धक (मन्दिर) को वेतन संषोधन का अनियमित लाभ देकर किया गया ₹2.78 लाख का अधिक भुगतानः–

अंकेक्षण के दौरान सेवा पंजिकाओं की जांच में पाया गया कि सहायक प्रबन्धक (मन्दिर) को हि0 प्र0 सरकार की अधिसूचना संख्या संख्या Fin(PR)-B(7)-64/2010 दिनांक 27.09.2012 के आधार पर वेतनमान 10300–34800+4200 ग्रेड पे में संशोधन करके दिनांक 1.10.12 से ग्रेड पे बढाकर ₹4800/– का लाभ दिया गया है । इस अधिसूचना द्वारा हि0 प्र0 सरकार के पदवार वेतनमान संशोधित किए गए थे जिसके दिशा निर्देशों के अनुसार यह वेतनमान उन्ही पदो ंके लिए लागू थे जिन्हें उपरोक्त अधिसूचना में शामिल किया गया है । मन्दिर न्यास द्वारा सहायक प्रबन्धकों के वेतनमान संशोधित करने हेतु उपरोक्त अधिसूचना को ही आधार बनाया गया है । जबकि मन्दिर न्यास के सहायक प्रबन्धकों के वेतनमान उपरोक्त अधिसूचना के आधार पर संशोधित नही किए जा सकते थे क्योंकि यह पद उपरोक्त अधिसूचना में शामिल नही था । इसके अतिरिक्त कर्मचारी की सेवा पंजिका अनुसार वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि प्रतिवर्ष जून माह में देय होती थी जबकि वेतन बिलों में माह मई में ही वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान कर दिया गया था ।

अंकेक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि DPC की सिफारिषों में कर्मचारी को 14 वर्ष का लाभ न दिए जाने बारे टिप्पणी की गई थी जबकि वित्तीय लाभ प्रदान करते समय यह लाभ भी प्रदान कर दिया गया था । न्यास कार्यालय द्वारा चूंकि ECR का संधारण नही किया

जा रहा था। अतः कर्मचारी को दिए गए वेतन /Drawn statement की पूर्णतया जांच अंकेक्षण में नही की जा सकी । इस अनियमितता के कारण सहायक प्रबन्धक को भुगतान किए गए गलत/ अधिक वेतन तथा अपेक्षित सही वेतन का विवरण निम्न तालिकाओं में दिया गया है जिसके आधार किए गए ₹2,77,718/– के कुल अधिक भुगतान (9.8.12 से 31.8.2020 तक) की गणना का विवरण **परिषिष्ट –ञ** पर भी दिया गया है ।

अनियमित रुप से किए गए इस भुगतान हेतु अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 143 दिनांक 15.9. 2020 द्वारा मन्दिर न्यास से इस बारे में स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक किसी प्रकार का उत्तर अंकेक्षण में प्राप्त नही हुआ अतः इस बारे या तो वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए या किए गए अधिक अनियमित भुगतान की वसूली सम्बन्धित से करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

श्री गोपाल दत्त षर्मा, सहायक प्रबन्धक(मन्दिर):–

क्र0	दिनांक	आहरित वेतन	देय वेतन	टिप्पणी
1	1.6.12	14700+4200=18900	14700+4200=18900	वार्षिक वेतन वृद्धि
2	1.10.12	14700+4800=19500	14700+4200=18900	संशोधित वेतनमान का लाभ जो कि देय नही था
3	1.5.13	15270+4800=20070	14700+4200=18900	
4	1.6.13	15270+4800=20070	15270+4200=19470	वार्षिक वेतन वृद्धि
5	1.5.14	15860+4800=20660	15270+4200=19470	
6	1.6.14	16480+4800=21280	15860+4200=20060	वार्षिक वेतन वृद्धि
7	1.5.15	17120+4800=21920	15860+4200=20060	
8	1.6.15	17120+4800=21920	16470+4200=20670	वार्षिक वेतन वृद्धि
9	1.5.16	17780+4800=22580	16470+4200=20670	
10	1.6.16	17780+4800=22580	17090+4200=21290	वार्षिक वेतन वृद्धि
11	1.5.17	18460+4800=23260	17090+4200=21290	
12	1.6.17	18460+4800=23260	17730+4200=21930	वार्षिक वेतन वृद्धि
13	1.5.18	19160+4800=23960	17730+4200=21930	
14	1.6.18	19160+4800=23960	18390+4200=22590	वार्षिक वेतन वृद्धि

37 दो सफाई कर्मचारियों को ACPs के गलत लाभ देकर तथा बकाया राषि की गलत गणना करके दिया गया ₹0.79 लाख की राशि का अनुचित लाभः–

अंकेक्षण के दौरान सेवा पंजिकाओं की जांच में पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा श्रीमती कौशल्या देवी तथा श्रीमती सन्तोष देवी, सफाई कर्मचारियों को ACPs के गलत लाभ दिए गए थे तथा बकाया राशि की गणना में भी त्रुटियां करके लगभग ₹79132/– का अनुचित लाभ दिया गया था । ACPs के लाभ दिए जाने के उपरान्त इन कर्मचारियों को दिया गया या दिया जाने वाला वेतन निम्न तालिका में दर्शाया गया है जिसके आधार पर किए गए गलत भुगतान का विवरण (दिनांक 9.8.12 से 30.4.18 तक) **परिषिष्ट –ट** पर दिया गया है । इस बारे या तो वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए या किए गए अधिक अनियमित भुगतान की वसूली सम्बन्धित से करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

क्र0सं0	**दिनांक**	**आहरित वेतन**	**देय वेतन**	**टिप्पणी**
1	1.10.10	5700+1300=7000	5700+1300=7000	
2	16.10.10	5910+1650=7560	5910+1400=7310	4 वर्ष का लाभ
3	1.10.11	6140+1650=7790	6130+1400=7530	वार्षिक वेतन वृद्धि
4	1.10.12	6380+1650=8030	6360+1650=8010	वार्षिक वेतन वृद्धि तथा संशोधित ग्रेड पे का लाभ
5	1.10.13	6620+1650=8270	6600+1650=8250	वार्षिक वेतन वृद्धि
6	1.10.14	6870+1650=8520	6850+1650=8500	वार्षिक वेतन वृद्धि
7	1.10.15	7130+1650=8780	7110+1650=8760	वार्षिक वेतन वृद्धि
8	16.10.15	7400+1900=9300	....	9 वर्ष का लाभ जो देय नही था संशोधित ग्रेड पे का लाभ प्रदान किए जाने के कारण।
9	1.10.16	7680+1900=9580	7380+1650=9030	वार्षिक वेतन वृद्धि
10	1.10.17	7970+1900=9870	7650+1650=9300	वार्षिक वेतन वृद्धि

38 ACPs के लाभ प्रदान किए जाने उपरान्त भुगतान की गई बकाया राषि की गलत गणना करके विभिन्न कर्मचारियों को दिया गया कुल ₹3.51 लाख का अनुचित लाभः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा माह 06/18 में विभिन्न कर्मचारियों को ACPs के लाभ प्रदान किए गए थे । जिसके उपरान्त इन कर्मचारियों को बकाया राशि का भुगतान किया गया था । बकाया राशि के बिल तथा सम्बन्धित अभिलेख की

पडताल करने पर पाया गया कि इन बकाया राशियों की गणना में भारी त्रुटियां करके बडी राशि का अनुचित भुगतान विभिन्न कर्मचारियों को किया गया था । लेखा परीक्षा के पास समय की कमी के कारण सभी कर्मचारियों को दी गई राशि की गणना सम्भव नही थी परन्तु फिर भी कुछ कर्मचारियों को किए गए गलत भुगतान का विवरण निम्न तालिका तथा दर्शाए गए परिशिष्टों में दिया गया है ।

अनियमित रुप से किए गए इस भुगतान हेतु अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 143 दिनांक 15.9. 2020 द्वारा मन्दिर न्यास से पूछा गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक किसी प्रकार का जवाब प्राप्त नही हुआ। अतः इस बारे या तो वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए या किए गए अधिक अनियमित भुगतान की वसूली सम्बन्धित से करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

क्रम सं0	नाम व पदनाम	किया गया भुगतान	भुगतान जो देय था	अन्तर	परिशिष्टों संख्या
1	श्री शाहीन बेग, सहायक अभियन्ता	5,63,349.00	4,83,751.00	79,598.00	ठ
2	श्री विजय पाल सिंह, कनिष्ट अभियन्ता	1,34,532.00	46,406.00	88,126.00	ड
3	श्री धनवीर सिंह, बेलदार	43,686.00	37,764.00	5,922.00	ढ
4	श्री नरेश कुमार, बेलदार	43,686.00	37,764.00	5,922.00	ढ
5	श्री सतीश कुमार, बेलदार	43,686.00	37,764.00	5,922.00	ढ
6	श्री बीरू राम, बेलदार	43,686.00	37,764.00	5,922.00	ढ
7	श्री बाबू राम, रसोईया	43,325.00	36,379.00	6,946.00	ण
8	श्री रमेश चन्द, रसोईया	43,325.00	36,379.00	6,946.00	ण
9	श्री बीरबल, रसोईया	43,325.00	36,379.00	6,946.00	ण
10	श्री सुरेन्द्र सिहं, सेवादार	1,84,253.00	1,49,565.00	34,688.00	त
11	श्री विक्रम सिहं, सेवादार	1,84,253.00	1,49,565.00	34,688.00	त
12	श्री प्रेम सिहं, सफाईकर्मी	1,84,253.00	1,49,565.00	34,688.00	त
13	श्री धर्मवीर, स्वीपर	1,84,253.00	1,49,565.00	34,688.00	त
				₹3,51,002.00	

उपरोक्त विवरण में दर्शाए कर्मचारियो के अतिरिक्त, बिल संख्या 134 दिनांक 4.6.18 (₹41,16,547.00) तथा बिल संख्या 336 दिनांक 25.9.18 (₹4,24,893.00) द्वारा जिन कर्मचारियों को बकाया राशि का भुगतान किया गया है, की गणना पुनः करके तथा अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

39 सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना ACPs के लाभ प्रदान किए जाने बारेः–

मन्दिर न्यास त्रिलोकपुर में तैनात अधिकारी/ कर्मचारियों को न्यास द्वारा माह 6/18 व 9/18 में बिल संख्या 134 दिनांक 4.6.18 (₹41,16,547.00) तथा बिल संख्या 336 दिनांक 25.9.18 (₹4,24,893.00) के माध्यम से 9.8.12 से 30.4.18 तक की बकाया राशि का भुगतान करके तथा मई 2018 से बढा हुआ वेतन देकर, हि0 प्र0 सरकार द्वारा जारी ACPs के लाभ प्रदान किए थे जिसके लिए हि0 प्र0 सरकार वित्त विभाग का अनुमोदन या मुख्य आयुक्त (मन्दिर) एवं सचिव(भाशा, कला एवं संस्कृति) हि0 प्र0 की स्वीकृति अनिवार्य थी जो कि अंकेक्षण को नही दिखाई गई । अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 138 दिनांक 27.7.20 द्वारा वांछित स्वीकृति हेतु पूछे जाने पर न्यास द्वारा केवल मन्दिर न्यास की बैठक का पारित आदेश, संलग्न करते हुए सूचित किया कि ये लाभ आयुक्त (मन्दिर) की स्वीकृति से दिए गए है । अतः हिमाचल प्रदेश हिन्दु सार्वजनिक धार्मिक संस्था एवं पूर्व विन्यास अधिनियम 1984 की धारा 3(3) में वांछित मुख्य आयुक्त (मन्दिर) एवं सचिव (भाषा, कला एवं संस्कृति)हि0 प्र0 की स्वीकृति आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए ।

40 अभिलेख प्रस्तुत न किए जाने बारे :–

अवधि 4/16 से 3/19 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु ज्ञापन संख्या 69 दिनांक 25.10.19 तथा 127 दिनांक 22.6.2020 द्वारा निम्नलिखित अभिलेख मांगा गया था जो कि न्यास कार्यालय द्वारा बार बार मौखिक अनुरोध किए जाने पर भी प्रस्तुत नही किया गया जिस कारण उक्त अभिलेख से सम्बन्धित लेखा परीक्षा सम्भव नही हो सकी ।

1. दिनांक 1.4.16 से 31.3.21 के दौरान सेवा निवृत हुए या होने वाले कर्मचारियों की सूचना ।
2. उन कर्मचारियों की सूचि जिनके पति/पत्नी सरकारी सेवा में कार्यरत है तथा सरकारी आवास की सूविधा ले रहे है ।
3. कार्यालय में प्रयोग में लाई जा रही न्यास की गाडियों की सूचना (दिए गए प्रपत्र पर)।
4. अंकेक्षण अवधि मे क्रय की गई भवन/ या अन्य अचल सम्पत्ति का विवरण ।
5. नकारा घोषित स्टोर/ स्टॉक वस्तुओं की सूचि ।

6. स्टोर/स्टॉक आदि के भौतिक सत्यापन का विवरण ।

40. लघु आपत्ति विवरणिकाः– यह अलग से जारी नही की गई ।

41 निष्कर्षः– लेखों में सुधार तथा सम्बन्धित अभिलेख का समय समय पर अध्यतन एवं पूर्ण करने व गत अंकेक्षण पैरों पर ठोस कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता है ।

हस्ता/-
(अनिल शर्मा)
उप निदेशक,
हि0प्र0 लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–09
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14)(274)/2011 खण्ड–3 4638–4641 दिनांकः18.09.21 शिमला–09

प्रतिलपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेशित है :–

1 अतिरिक्त मुख्य सचिव (भाषा एवं संस्कृति विभाग) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–2.
2 उपायुक्त कांगड़ा एवं आयुक्त मन्दिर न्यास श्री महामाया बाला सुन्दरी जी, मन्दिर न्यास त्रिलोकपुर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)
3 निदेशक, भाषा एवं संस्कृति विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला–09.
पंजीकृत 4 मन्दिर अधिकारी, श्री महामाया बाला सुन्दरी जी, मन्दिर न्यास त्रिलोकपुर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करवाकर सटिप्पण उतर एक माह के भीतर इस विभाग को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

हस्ता/-
(अनिल शर्मा)
उप निदेशक,
हि0प्र0 लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–09
फोन नं0 0177–2620881

परिशिष्ट संख्याः क (पैरा संख्या 1 (घ))

(क) अंकेक्षण अवधि 25.04.2002 से 31.03.2010 तक

1	पैरा–4 (iv)	अनिर्णीत	

2	पैरा—4 (v) (क) एवं (घ)	अनिर्णीत	
3	पैरा—6	अनिर्णीत	
4	पैरा—7	अनिर्णीत	
5	पैरा—8	अनिर्णीत	
6	पैरा—9	अनिर्णीत	
7	पैरा—10	अनिर्णीत	
8	पैरा—11	अनिर्णीत	
9	पैरा—15	अनिर्णीत	
10	पैरा—16	अनिर्णीत	
11	पैरा—17	अनिर्णीत	
12	पैरा—19	अनिर्णीत	
13	पैरा—20	अनिर्णीत	
14	पैरा—21	अनिर्णीत	
15	पैरा—24 (i)(ii)(iii)(iv)(v)एवं (vi)	अनिर्णीत	
16	पैरा—25 (i)(ii)एवं (iii)	अनिर्णीत	
17	पैरा—26 (i)एवं (ii)	अनिर्णीत	
18	पैरा—27	अनिर्णीत	
19	पैरा—28	अनिर्णीत	
20	पैरा—29	अनिर्णीत	
21	पैरा—30	अनिर्णीत	
22	पैरा—31	अनिर्णीत	
23	पैरा—32	अनिर्णीत	
24	पैरा—33	अनिर्णीत	
25	पैरा—34(i)एवं (ii)	अनिर्णीत	
26	पैरा—35	अनिर्णीत	
27	पैरा—36	अनिर्णीत	

28	पैरा–38	अनिर्णीत	
29	पैरा–39 (क, ख, एवं ग)	अनिर्णीत	
30	पैरा–40	अनिर्णीत	
31	पैरा–41	अनिर्णीत	
32	पैरा–42	अनिर्णीत	
33	पैरा–44	अनिर्णीत	
34	पैरा–45	अनिर्णीत	
35	पैरा–46	अनिर्णीत	
36	पैरा–47	अनिर्णीत	
37	पैरा–48	अनिर्णीत	
38	पैरा–49 (i) एवं (ii)	अनिर्णीत	
(ख) अंकेक्षण अवधि 01.04.2010 से 31.03.2013 तक			
1	पैरा–6	अनिर्णीत	
2	पैरा–7 (क)	अनिर्णीत	
3	पैरा–7 (ख)	अनिर्णीत	
4	पैरा–7 (ग)	अनिर्णीत	
5	पैरा–8 (ग)	निर्णीत	(वांछित कार्यवाही की पुष्टि उपरान्त)
6	पैरा–8 (घ)	निर्णीत	
7	पैरा–8 (ङ)	निर्णीत	(प्रमाण पत्र दिए जाने उपरान्त)
8	पैरा–8 (छ)	अनिर्णीत	
9	पैरा–8 (ज)	अनिर्णीत	
10	पैरा–10	अनिर्णीत	
11	पैरा–12	अनिर्णीत	
12	पैरा–13	अंशतः निर्णीत	(₹4000 की वसूली शेष)
13	पैरा–14	अनिर्णीत	
14	पैरा–15	अनिर्णीत	
15	पैरा–16 (क)	अनिर्णीत	

16	पैरा—16 (ख)	अनिर्णीत	
17	पैरा—16 (ग) (i) से (iii)	अनिर्णीत	
18	पैरा—18 (क, ख)	अनिर्णीत	
19	पैरा—19	अनिर्णीत	
20	पैरा—21	अनिर्णीत	
21	पैरा—22	अनिर्णीत	
22	पैरा—23 (क, ख)	अनिर्णीत	
23	पैरा—25	अनिर्णीत	
24	पैरा—27 (2)(ग)	अनिर्णीत	
25	पैरा—31	अनिर्णीत	
26	पैरा—33	अनिर्णीत	
27	पैरा—34	अनिर्णीत	
28	पैरा—35	अनिर्णीत	
29	पैरा—36	अनिर्णीत	
30	पैरा—37	अनिर्णीत	
31	पैरा—38 (क)	अनिर्णीत	
32	पैरा—40 (क से ग)	अनिर्णीत	
33	पैरा—41	अनिर्णीत	
34	पैरा—43 (क, ख)	अनिर्णीत	
35	पैरा—44	अनिर्णीत	
36	पैरा—46	अनिर्णीत	
(ग) अंकेक्षण अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 तक			
1	पैरा—4.1 (क, ख)	निर्णीत	पुनः प्रारूपित करने पर समाप्त निर्णीत
2	पैरा—4.2 (क, ख)	अनिर्णीत	
3	पैरा—4.3 (क)	अनिर्णीत	
4	पैरा—4.4 (क)	अनिर्णीत	
5	पैरा—4.6	अनिर्णीत	

6	पैरा—4.5	निर्णीत	वांछित कार्यवाही की पुष्टि उपरान्त निर्णीत
7	पैरा—5	अनिर्णीत	
8	पैरा—6 (क, ख,ग, घ, ङ)	अनिर्णीत	
9	पैरा—6 (च)	अनिर्णीत	
10	पैरा—7	अनिर्णीत	
11	पैरा—8	निर्णीत	अपेक्षित कार्यवाही उपरान्त निर्णीत
12	पैरा—9	अनिर्णीत	
13	पैरा—10	अनिर्णीत	
14	पैरा—11	अनिर्णीत	
15	पैरा—12	अनिर्णीत	
16	पैरा—13	अनिर्णीत	
17	पैरा—14	अनिर्णीत	
18	पैरा—15	अनिर्णीत	
19	पैरा—16	अंशतः निर्णीत	(श्री सुरेश कुमार वरिष्ठ पुजारी से ₹49242 की वसूली शेष)
20	पैरा—17	निर्णीत	अपेक्षित कार्यवाही उपरान्त निर्णीत
21	पैरा—18	अनिर्णीत	
22	पैरा—19	निर्णीत	पुनः प्रारूपित किए जाने उपरान्त समाप्त निर्णीत
23	पैरा—20	अनिर्णीत	
24	पैरा—21	अनिर्णीत	
25	पैरा—22	अनिर्णीत	
26	पैरा—23	अनिर्णीत	
27	पैरा—24	अनिर्णीत	
28	पैरा—25	अनिर्णीत	₹116 की वसूली उपरान्त निर्णीत
29	पैरा—26	अनिर्णीत	
30	पैरा—27	अनिर्णीत	

31	पैरा—28	अनिर्णीत	
32	पैरा—29	अनिर्णीत	निर्णीत, अभिलेख की जांच पड़ताल उपरान्त
33	पैरा—30	अनिर्णीत	निर्णीत, राशि की वसूली उपरान्त
34	पैरा—31	अनिर्णीत	
35	पैरा—32	अनिर्णीत	
36	पैरा—33	अंशतः निर्णीत	
37	पैरा—34	निर्णीत	अपेक्षित कार्यवाही उपरान्त निर्णीत
38	पैरा—35	अनिर्णीत	
39	पैरा—36	अनिर्णीत	
40	पैरा—37	अनिर्णीत	
41	पैरा—38	अनिर्णीत	
42	पैरा—39	अनिर्णीत	
43	पैरा—40	अनिर्णीत	
44	पैरा—41	अनिर्णीत	
45	पैरा—42	अनिर्णीत	
46	पैरा—43	अनिर्णीत	
47	पैरा—44	अनिर्णीत	
48	पैरा—45	अनिर्णीत	
49	पैरा—46	अनिर्णीत	
50	पैरा—47	अनिर्णीत	
51	पैरा—48	अनिर्णीत	
52	पैरा—49	अनिर्णीत	
53	पैरा—50	अनिर्णीत	
54	पैरा—51 (क, ख)	अनिर्णीत	पुनः प्रारूपित करने पर समाप्त निर्णीत
55	पैरा—51 (ग)	अनिर्णीत	

अनिर्णीत पैरों का सार	
गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अनुसार अनिर्णीत पैरे	129
वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन अनुसार लगाए गए पैरे	37
वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में निर्णीत पैरे	14
अनिर्णीत पैरों का अन्तशेष	152